

# राज्यों की वित्तीय स्थिति

नवम्बर 2024

तुषार चक्रवर्ती, सृष्टि सिंह



राज्यों के राजस्व की स्थिति संभली, लेकिन घाटे का स्तर कोविड के बाद मामूली रूप से बढ़ा

राजस्व बढ़ाने और व्यय की योजना बनाने के लिए राज्यों के पास सीमित स्वायत्तता

एकीकृत पेंशन योजना में स्थानांतरण से राज्यों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है

2023-24 में राज्यों का अपना राजस्व (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) 2018-19 में दर्ज स्तरों के बराबर था। हालांकि केंद्रीय हस्तांतरण में गिरावट के कारण कुल राजस्व प्राप्तियां 2018-19 की तुलना में कम बनी हुई हैं। केंद्र के दीर्घकालिक ऋणों के कारण राज्यों के पूंजी परिव्यय में मामूली वृद्धि हुई है। 2023-24 में एसजीएसटी से राज्यों का राजस्व महामारी-पूर्व स्तर से अधिक हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद खनिज समृद्ध राज्य भी खनन से अतिरिक्त राजस्व जुटा सकते हैं। व्यय के लिहाज से देखा जाए तो कई राज्य महिलाओं के लिए नकद अंतरण योजनाएं चला रहे हैं। इसके अलावा एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने पर उन्हें अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ सकता है। राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति राज्य के वित्त के लिए चुनौतियां पेश कर रही हैं।

इसके मद्देनजर यह रिपोर्ट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुद्दुचेरी के बजट दस्तावेजों और कैग एकाउंट्स के आधार पर उनके वित्त का विश्लेषण करती है। इस रिपोर्ट के रेखाचित्रों में राज्यों के लिए निम्नलिखित संक्षिप्त नामों का इस्तेमाल किया गया है।

राज्य	संक्षिप्त नाम	राज्य	संक्षिप्त नाम	राज्य	संक्षिप्त नाम
आंध्र प्रदेश	AP	जम्मू एवं कश्मीर	JK	पुद्दुचेरी	PY
अरुणाचल प्रदेश	AR	कर्नाटक	KA	राजस्थान	RJ
असम	AS	केरल	KL	सिक्किम	SK
बिहार	BR	मेघालय	MG	तमिलनाडु	TN
छत्तीसगढ़	CG	महाराष्ट्र	MH	त्रिपुरा	TR
दिल्ली	DL	मध्य प्रदेश	MN	तेलंगाना	TS
गोवा	GA	मणिपुर	MP	उत्तराखंड	UK
गुजरात	GJ	मिजोरम	MZ	उत्तर प्रदेश	UP
हिमाचल प्रदेश	HP	नगालैंड	NL	पश्चिम बंगाल	WB
हरियाणा	HR	ओड़िशा	OD		
झारखंड	JH	पंजाब	PB		

## विषय

खंड	पृष्ठ संख्या
राज्यों की वित्तीय स्थिति के विभिन्न पहलू	
कोविड के बाद की अवधि में राज्य की वित्तीय स्थिति	4
राजस्व और व्यय पर राज्यों की सीमित स्वायत्तता	6
जीएसटी राजस्व की प्रवृत्तियां	8
एकीकृत पेंशन योजना का क्रियान्वयन	11
महिलाओं के लिए नकद अंतरण योजनाएं	13
केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	14
स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग के अनुदान	15
खनिजों से राजस्व	16
बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन	18
राज्य की वित्तीय प्रवृत्तियां	
<i>i. प्राप्ति</i>	19
<i>ii. व्यय</i>	23
<i>iii. ऋण और घाटा</i>	25
<i>iv. बजट अनुमानों की विश्वसनीयता</i>	28
<i>v. क्षेत्र-वार परिव्यय की प्रवृत्तियां</i>	31
अनुलग्नक	36
पारिभाषिक शब्द	39

**स्वीकरण:** प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च ("पीआरएस") के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

## राज्यों की वित्तीय स्थिति के विभिन्न पहलू

राज्यों की राजस्व प्राप्तियों की स्थिति संभली, लेकिन घाटे का स्तर कोविड के बाद मामूली रूप से बढ़ा

2019-20 में आर्थिक मंदी और उसके बाद कोविड-19 महामारी के कारण 2018-19 और 2020-21 के बीच राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में गिरावट आई। इससे उधारियों में बढ़ोतरी हुई और 2020-21 में राज्यों की कुल देनदारियां बढ़कर जीडीपी का 31% हो गईं। तब से राज्यों की स्वयं राजस्व प्राप्तियां पूर्व-कोविड स्तर पर वापस आ गई हैं और ऋण स्तर में कमी आई है।

**राजस्व बढ़ाने और व्यय की योजना बनाने के लिए राज्यों के पास सीमित स्वायत्तता**

देश में कुल सरकारी व्यय का लगभग 60% हिस्सा राज्यों के बजट से खर्च होता है। हालांकि राज्यों को राजस्व बढ़ाने और व्यय की योजना बनाने की सीमित स्वायत्तता प्राप्त है। 2022-23 में उनकी 53% प्राप्तियां ऐसे स्रोतों से आई थीं, जिनके संबंध में फैसला लेने का उन्हें सीमित अधिकार है। व्यय के लिहाज से देखा जाए तो लगभग 55% व्यय की प्रकृति इनफ्लेक्सिबल है, यानी उसे अपनी मर्जी और जरूरत के हिसाब से खर्च नहीं किया जा सकता।

**2023-24 में एसजीएसटी से राजस्व कोविड पूर्व स्तर से अधिक**

2023-24 में राज्यों का कुल एसजीएसटी राजस्व 2018-19 में दर्ज स्तरों से आगे निकल गया। आरबीआई ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार और कर प्रशासन में सुधार से एसजीएसटी राजस्व को फायदा हुआ है। जीएसटी परिषद ने क्षतिपूर्ति सेस को बदलने पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया है। वर्तमान में कोविड के दौरान क्षतिपूर्ति की कमी की भरपाई करने के लिए जो ऋण लिए गए थे, उसका भुगतान करने के लिए उपकर का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार अगर क्षतिपूर्ति उपकर को जीएसटी स्लैब में शामिल किया जाता है, तो केंद्र और राज्य दोनों को राजस्व प्राप्त होगा।

**एकीकृत पेंशन योजना में स्थानांतरण से राज्यों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है**

अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत सरकारी अंशदान में वृद्धि के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। जो राज्य अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करना चुनते हैं, उन्हें अतिरिक्त व्यय करना पड़ सकता है।

**कई राज्य महिलाओं के लिए नकद अंतरण योजनाएं चला रहे हैं**

2024-25 में महिलाओं के लिए नकद अंतरण योजनाएं चलाने के कारण नौ राज्यों द्वारा कुल मिलाकर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का अनुमान है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। सभी राज्यों के बजट पर इसका प्रभाव अलग-अलग है। नकद अंतरण योजनाएं चलाने से लाभार्थियों की उपभोग क्षमता में सुधार हो सकता है।

**कुछ गरीब राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत प्रति व्यक्ति अनुदान कम है**

2015-16 के बाद से सीएसएस के लिए केंद्रीय अनुदान कुल केंद्रीय हस्तांतरण का 20% से अधिक रहा है। ये योजनाएं केंद्र द्वारा तैयार की जाती हैं और राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। इनका लक्ष्य राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ गरीब राज्यों के लिए औसत प्रति व्यक्ति सीएसएस अनुदान कम रहा है। कम राजकोषीय और कार्यान्वयन क्षमता वाले राज्यों को इन योजनाओं को लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

### सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य खनिजों से अतिरिक्त राजस्व जुटा सकते हैं

जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा। अदालत ने राज्यों को इन उगाहियों से पूर्वव्यापी मांग को रिकवर करने की भी अनुमति दी। खनिजों पर शुल्क लगाने से राज्य अतिरिक्त राजस्व प्राप्त कर सकते हैं।


### बिजली खरीद की उच्च लागत के कारण डिस्कॉम्स के घाटे बढ़े

राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम का घाटा पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में दोगुना हो गया। यह आयातित कोयले पर बढ़ती निर्भरता और आयातित कोयले की कीमत में बढ़ोतरी की वजह से बिजली खरीद लागत में वृद्धि के कारण था। अगर घाटा लगातार बढ़ता है तो बिजली वितरण के इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने के लिए निवेश करना मुश्किल होता है।

## राज्यों की राजस्व प्राप्तियों की स्थिति संभली, लेकिन घाटे का स्तर कोविड के बाद मामूली रूप से बढ़ा

2018-19 और 2020-21 के बीच राज्यों के राजस्व संग्रह में गिरावट आई। यह 2019-20 में आर्थिक मंदी के कारण था जिसके बाद कोविड-19 महामारी का धक्का लगा। राज्यों को अपने खर्चों को जारी रखने के लिए अधिक उधार लेना पड़ा। परिणामस्वरूप राज्यों की कुल देनदारियां 2018-19 में जीडीपी के 25.3% से बढ़कर 2020-21 में जीडीपी का 31% हो गईं। तब से राजस्व स्तर में सुधार हुआ, लेकिन 2023-24 के आंकड़े अभी भी 2018-19 में दर्ज स्तर से नीचे रहे। जबकि राज्यों का स्वयं राजस्व 2018-19 के समान स्तर पर था, जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान बंद होने और कम हस्तांतरण के कारण केंद्रीय अनुदान कम हैं। कुल केंद्रीय हस्तांतरण 2018-19 में जीडीपी के 6.4% से घटकर 2023-24 में जीडीपी का 5.5% हो गया। 2024-25 के बजट में राजस्व प्राप्तियों में और सुधार का अनुमान है।


रेखाचित्र 1: प्रमुख बजट संकेतकों में प्रवृत्तियां (जीडीपी के % के रूप में)



2020-21 में जीडीपी के 14.9% तक बढ़ने के बाद राजस्व व्यय कम हो गया है। पूंजी परिव्यय में मामूली वृद्धि देखी गई है, जिसे केंद्र द्वारा पूंजी परिव्यय के लिए 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण (2023-24 में जीडीपी का 0.4%) से मदद मिली है। 2020-21 के कोविड-19 वर्ष में राजकोषीय घाटा बढ़ गया और तब से यह घटकर जीडीपी के 3% से नीचे आ गया है। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा इस सीमा से थोड़ा ऊपर रहने का अनुमान है। जबकि राज्यों के लिए यह जरूरी है कि वे 2023-24 से घाटे को जीएसडीपी के 3% से कम रखें, केंद्र द्वारा ब्याज मुक्त ऋण इस सीमा के भीतर नहीं आते। राज्य पिछले वर्षों के अनुपयुक्त उधार को अगले वर्ष इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वे बिजली क्षेत्र में सुधार करते हैं तो अतिरिक्त उधार भी जुटा सकते हैं।

2023-24 में 13 राज्यों में राजस्व घाटा दर्ज किया गया और 19 राज्यों में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के दीर्घकालिक लक्ष्य से अधिक था। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में राजस्व घाटा महामारी से काफी पहले से ही बरकरार है। अधिकांश राज्यों (गुजरात,

कोविड के दौरान वृद्धि, अब देनदारियां कम हो रही हैं



नोट: RE: संशोधित अनुमान। BE: बजट अनुमान। प्राप्तियों में 2018-19 और 2019-20 में उत्तर प्रदेश के गैर-कर राजस्व को सिंकिंग फंड्स से बाहर रखा गया है। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; आरबीआई; कैंग; एमओएसपीआई; पीआरएस।

महाराष्ट्र और ओडिशा को छोड़कर) पर जीडीपी के 20% के दीर्घकालिक लक्ष्य से अधिक बकाया देनदारियां हैं, जिनमें से पांच राज्यों में 40% से अधिक हैं (देखें रेखाचित्र 26)।


2024-25 में राज्यों ने जीडीपी के 14.3% पर राजस्व प्राप्तियों का बजट रखा है जो 2023-24 (अनंतिम खातों के अनुसार जीडीपी का 13.3%) की तुलना में काफी अधिक है। इसी तरह राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय के 2023-24 के अनंतिम वास्तविक से काफी अधिक बढ़ने का अनुमान है। हालांकि इनमें से कुछ अनुमान आशावादी हो सकते हैं। 2015-16 और 2022-23 के बीच राज्यों ने औसतन अपने राजस्व का 11% और अपने व्यय का 10% अधिक आकलन किया था (देखें रेखाचित्र 29, 30 और 31)।

## राजस्व बढ़ाने और व्यय की योजना बनाने के लिए राज्यों के पास सीमित स्वायत्तता

देश में कुल सरकारी व्यय का लगभग 60% राज्य खर्च करते हैं। हालांकि उन्हें राजस्व जुटाने और अपने स्वयं के व्यय का निर्णय लेने का सीमित अधिकार है। राजस्व के लिहाज से संविधान केंद्र सरकार को उच्च कराधान शक्तियां प्रदान करता है।<sup>1</sup> व्यय के लिहाज से देखा जाए तो राज्यों के बहुत से व्यय की प्रकृति इनफ्लेक्सिबल है, जैसे वेतन और ब्याज भुगतान। इसे वे अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते।

2022-23 में राज्यों की कुल प्राप्तियों का 53% (राजस्व प्राप्तियां, गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां, उधार और पूंजीगत व्यय के लिए ऋण शामिल) हिस्सा राज्यों के नियंत्रण से बाहर के स्रोतों से थे। ये हैं केंद्रीय करों का हस्तांतरण (कुल प्राप्तियों का 21%), एसजीएसटी राजस्व (16%), केंद्रीय अनुदान (15%), और पूंजी परिव्यय के लिए ऋण (2%)। कर हस्तांतरण और कुछ केंद्रीय अनुदान वित्त आयोग के सुझावों पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा केंद्र अपने विवेक के अनुसार कुछ अन्य अनुदान (जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए) भी प्रदान करता है। जीएसटी दरें जीएसटी परिषद में संघ और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से तय की जाती हैं। इस प्रकार एसजीएसटी राजस्व काफी हद तक परिषद द्वारा अनुशंसित दरों पर निर्भर करता है। स्वयं के कर राजस्व के कुछ स्रोतों पर राज्यों का नियंत्रण है। इनमें बिक्री कर/वैट, उत्पाद शुल्क और स्टॉप शुल्क शामिल हैं (देखें रेखाचित्र 19)। यह विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों ने 2022-23 में अपने स्वयं के कर राजस्व का 50% से अधिक बिक्री कर/वैट, उत्पाद शुल्क और स्टॉप शुल्क से जुटाया।

### रेखाचित्र 2: राज्यों के पास अपनी लगभग आधी प्राप्तियों और व्यय पर सीमित अधिकार है (2022-23 के आंकड़े)



नोट: 2022-23 में उधारियों की गणना जीएसटीपी के 3% के रूप में की गई है। वेतन और सीएसएस पर खर्च के बीच कुछ ओवरलैप हो सकता है जिसमें वेतन के लिए अनुदान शामिल है। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; कैंग; एमओएसपीपीआई; पीआरएस।

राज्यों के पास खर्च करने का भी सीमित अधिकार है। 2022-23 में राज्यों के कुल व्यय का 43% हिस्सा (राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय और ऋण और अग्रिमों का संवितरण शामिल) तीन मर्दों- वेतन, पेंशन और ब्याज पर खर्च किया गया था। इन मर्दों को अल्प से मध्यम अवधि में कम करना कठिन होता है। राज्यों को विभिन्न सीएसएस को लागू करने के लिए समान अनुदान भी प्रदान करना होगा। 2022-23 में राज्यों ने अपने कुल व्यय का 11% सीएसएस पर खर्च किया। इसके अलावा वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान (राजस्व घाटा अनुदान को छोड़कर) स्थानीय निकायों या आपदा प्रबंधन जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आरक्षित हैं। ऐसी अन्य मद हैं जिनमें राज्यों के पास सीमित अधिकार हो सकता है जैसे स्थानीय निकायों को हस्तांतरण (राज्य वित्त आयोगों के सुझावों के अनुसार)। राजस्व की ही तरह रेखाचित्र 2 में प्रदर्शित रुझानों में विभिन्न राज्यों में काफी भिन्नताएं दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों ने 2022-23 में वेतन, पेंशन और ब्याज पर अपने कुल व्यय का 35% से कम खर्च किया।

14वें वित्त आयोग ने कहा था कि राज्यों को धनराशि हस्तांतरित करने का पहला तरीका कर हस्तांतरण होना चाहिए।<sup>2</sup> इससे राज्यों को अनटाइड हस्तांतरण की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी।<sup>2</sup> अधिक अनटाइड हस्तांतरण से अलग-अलग राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार व्यय की योजना बनाने में मदद मिलेगी। 14वें वित्त आयोग ने




सुझाव दिया था कि करों के विभाज्य पूल का 42% हिस्सा (सकल कर राजस्व संग्रह की लागत और उपकर और अधिभार घटाकर) राज्यों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। 15वें वित्त आयोग ने इस अनुपात को 41% पर बरकरार रखा (1% कम करने के बाद क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है)। 2020-21 और 2022-23 के बीच सकल कर राजस्व का 15% से अधिक उपकर और अधिभार के रूप में हासिल हुआ। नतीजतन राज्यों को कर हस्तांतरण सकल कर राजस्व का लगभग 30% था, जो 2015-20 की अवधि (लगभग 35%) से कम था।

## 2023-24 में एसजीएसटी से राजस्व कोविड पूर्व स्तर से अधिक

2017 में शुरुआत के बाद से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) से प्राप्त राजस्व राज्यों के अपने कर राजस्व का लगभग 40% है।<sup>3,4</sup> केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) के हस्तांतरण सहित, कुल जीएसटी राजस्व का 70% से अधिक हिस्सा राज्यों को प्राप्त होता है। लेकिन कार्यान्वयन के तुरंत बाद जीएसटी राजस्व को निम्न कारणों से नुकसान हुआ: (i) 2019-20 में आर्थिक मंदी, (ii) कई वस्तुओं पर कर दरों में गिरावट, और (iii) कोविड-19 महामारी का प्रतिकूल प्रभाव। 2020-21 में एसजीएसटी राजस्व घटकर जीडीपी का 2.3% हो गया। आरबीआई (2023) ने कहा कि महामारी के बाद की अवधि में आर्थिक विकास की बहाली और बेहतर कर प्रशासन से एसजीएसटी राजस्व को लाभ हुआ है।<sup>4</sup> 2023-24 में एसजीएसटी और जीडीपी का अनुपात 2.9% था, जो 2018-19 से अधिक है।


रेखाचित्र 3: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एसजीएसटी राजस्व में सुधार हुआ है



स्रोत: केंद्र और राज्य बजट दस्तावेज़; कैग; एमओएसपीआई; पीआरएस।

2023-24 में एसजीएसटी राजस्व में काफी अधिक अंतर-राज्यीय भिन्नताएं थीं (देखें रेखाचित्र 4)। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में जीएसटी में एसजीएसटी अनुपात अधिक होने का कारण जीएसटी का गंतव्य-आधारित कर होना हो सकता है। आरबीआई (2023) के अनुसार, एसजीएसटी कलेक्शन में सुधार के लिए राज्यों द्वारा किए गए प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं: (i) कुछ करदाताओं के लिए ई-चालान अनिवार्य बनाना, (ii) टैक्स इंटेलिजेंस/रिसर्च यूनिट्स की स्थापना, और (iii) लीकेज को रोकने के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग।<sup>4</sup>

रेखाचित्र 4: 2023-24 में राज्यों में एसजीएसटी राजस्व (जीएसडीपी के % के रूप में)



नोट: 2023-24 के आंकड़े कैग के अनंतिम एकाउंट्स के अनुसार हैं। स्रोत: कैग; केंद्रीय बजट दस्तावेज़; एमओएसपीआई; पीआरएस।


**जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस:** जीएसटी के तहत जून 2022 तक पांच वर्षों के लिए राज्यों की राजस्व वृद्धि की गारंटी दी गई थी। केंद्र ने उन राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान की थी जो इस गारंटीकृत वृद्धि दर को हासिल करने में असमर्थ थे। इस क्षतिपूर्ति को तंबाकू उत्पादों, कोयला और ऑटोमोबाइल जैसी वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर लगाकर वित्त पोषित किया गया था।<sup>5</sup> जबकि राज्य केवल जून 2022 तक क्षतिपूर्ति के लिए पात्र थे, उपकर की वसूली 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी गई थी।<sup>6</sup> जून 2022 के बाद उपकर से हासिल प्राप्तियों का उपयोग 2020-21 और 2021-22 में राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के लिए केंद्र द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने के लिए किया जा रहा है।<sup>7</sup>

सितंबर 2024 में जीएसटी परिषद ने मंत्रियों का एक समूह बनाने का सुझाव दिया जोकि जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस को बदलने का प्रस्ताव पेश करेगा।<sup>8</sup> अगर क्षतिपूर्ति उपकर को व्यापक जीएसटी स्लैब में शामिल किया जाता है, तो केंद्र और राज्यों को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऋण चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला राजस्व नियमित जीएसटी राजस्व के रूप में केंद्र और राज्यों को मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से कलेक्शन जीडीपी का लगभग 0.5% रहा है। इस राजस्व का 70% से अधिक हिस्सा एसजीएसटी और केंद्रीय जीएसटी के हस्तांतरण के माध्यम से राज्यों को जाएगा।

### कम मैनुफैक्चरिंग और खनन वाले राज्यों के लिए आईजीएसटी से राजस्व का हिस्सा अधिक है

जीएसटी के तहत राजस्व चार स्रोतों से एकत्र किया जाता है: (i) केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी), (ii) एसजीएसटी, (iii) एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी), और (iv) क्षतिपूर्ति उपकर। राज्यों के भीतर लेनदेन सीजीएसटी और एसजीएसटी के अधीन हैं जो क्रमशः केंद्र और राज्यों को प्राप्त होते हैं। अंतरराज्यीय लेनदेन और आयात पर केंद्र सरकार आईजीएसटी लगाती और एकत्र करती है।<sup>9</sup> बाद में इसे केंद्र और राज्य के बीच बांटा जाता है जहां अंतिम खपत होती है।<sup>9</sup> 2018-19 और 2023-24 के बीच कुल जीएसटी कलेक्शन में लगभग आधा हिस्सा आईजीएसटी का है। आईजीएसटी के भीतर, कुल संग्रह का लगभग आधा हिस्सा आयात से, और शेष अंतरराज्यीय लेनदेन से आता है।


रेखाचित्र 5: आईजीएसटी कुल जीएसटी संग्रह का आधा हिस्सा



नोट: आंकड़ों में रिफंड को शामिल नहीं किया गया है। स्रोत: जीएसटी पोर्टल; पीआरएस।

2018-19 और 2023-24 के बीच आईजीएसटी निपटान से प्राप्त राजस्व कुल एसजीएसटी राजस्व का लगभग 46% था। हालांकि मैनुफैक्चरिंग और खनन में कम हिस्सेदारी वाले राज्यों के लिए आईजीएसटी की हिस्सेदारी तुलनात्मक रूप से अधिक थी। उदाहरण के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए आईजीएसटी निपटान का एसजीएसटी राजस्व में क्रमशः 66% और 57% हिस्सा था। उत्तर-पूर्वी राज्यों मणिपुर, मिजोरम और नगालैंड के लिए, यह हिस्सेदारी 70% से अधिक थी। दूसरी ओर, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे मैनुफैक्चरिंग राज्यों और छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे खनन केंद्रों के लिए यह हिस्सेदारी कम थी।

रेखाचित्र 6: 2018-19 और 2023-24 के बीच एसजीएसटी में आईजीएसटी निपटान से राजस्व का हिस्सा



स्रोत: जीएसटी पोर्टल, कैग, राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।


कुछ राज्यों के कुल एसजीएसटी राजस्व में आईजीएसटी का उच्च हिस्सा जीएसटी के तहत कराधान के गंतव्य-आधारित सिद्धांत के कारण हो सकता है। जब वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में की जाती

है, तो जीएसटी राजस्व उस राज्य को प्राप्त होता है जहां अंतिम खपत होती है। इसलिए जिन राज्यों में मैन्यूफैक्चरिंग और खनन केंद्र नहीं हैं, और इस प्रकार वे राज्य के बाहर बनी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उन्हें आईजीएसटी के रूप में अपने जीएसटी का एक उच्च अनुपात प्राप्त होगा। जीएसटी-पूर्व व्यवस्था में वस्तुओं की अंतर-राज्यीय बिक्री केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के अधीन थी। सीएसटी का कलेक्शन और उपयोग उस राज्य द्वारा किया जाता था जहां से माल की अंतर-राज्यीय बिक्री शुरू हुई थी।<sup>10</sup>

## एकीकृत पेंशन योजना में स्थानांतरण से राज्यों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है

2024-25 में राज्यों का पेंशन व्यय जीडीपी का 1.6% अनुमानित है। 1980 और 2002 के बीच राज्यों का पेंशन व्यय राजस्व की तुलना में अधिक दर से बढ़ा।<sup>11</sup> बढ़ते खर्च के मद्देनजर लगभग दो दशक पहले पेंशन सुधार किए गए थे। इसमें एक बदलाव था, परिभाषित लाभ पेंशन योजना से परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (देखें तालिका 1)। परिभाषित लाभ योजना के तहत, पेंशन का भुगतान एक फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है जिसकी गणना वेतन के प्रतिशत के रूप में की जा सकती है। परिभाषित अंशदान योजना में, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों रोजगार के कार्यकाल के दौरान अंशदान करते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ संचित कोष के आकार पर निर्भर करते हैं।

**रेखचित्र 7: राजस्व प्राप्तियों के % के रूप में पेंशन व्यय पिछले चार दशकों में लगभग छह गुना बढ़ गया है**



स्रोत: राज्य सरकारों की पेंशन देनदारियों का अध्ययन करने वाले समूह की रिपोर्ट; आरबीआई; पीआरएस।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को 1 जनवरी 2004 से भर्ती केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित अंशदान योजना के रूप में पेश किया गया था।<sup>12</sup> अधिकांश राज्य सरकारें ने भी बाद के वर्षों में परिभाषित अंशदान योजना को लागू किया। हालांकि पिछले दो वर्षों में कुछ राज्य सरकारों जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है।<sup>13</sup> वर्तमान में सरकारें 2004 से पहले शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए ओपीएस के तहत पेंशन का भुगतान करती हैं, और 2004 से शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस में योगदान करती हैं। सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से लागू करने से राज्यों को अल्पावधि में पेंशन व्यय को कम करने में मदद मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें मौजूदा कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत नियोक्ता के हिस्से का योगदान नहीं देना होगा। हालांकि इन कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद, सरकारों को वार्षिक बजट से लागत (जो मुद्रास्फीति के साथ भी बढ़ सकती है) वहन करनी होगी।

**तालिका 1: केंद्र सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं की विशेषताएं**

विशेषताएं	ओपीएस (2003 तक)	एनपीएस (2004-2024)	यूपीएस (2025 से)
प्रकार	परिभाषित लाभ	परिभाषित अंशदान	परिभाषित लाभ और परिभाषित अंशदान, दोनों की विशेषताएं
वित्त पोषण	सामान्य सरकारी राजस्व से वित्त पोषित	रोजगार अवधि के दौरान निर्मित सेवानिवृत्ति कोष से वित्त पोषित	सेवानिवृत्ति कोष से वित्त पोषित, सरकार सुनिश्चित पेंशन में किसी भी कमी को पूरा करेगी
कर्मचारी अंशदान	नहीं	हां	हां
पेंशन की मात्रा	आश्वस्त	कॉर्पस पर रिटर्न से जुड़ा	आश्वस्त

स्रोत: राज्य सरकारों की पेंशन देनदारियों का अध्ययन करने वाले समूह की रिपोर्ट; प्रेस सूचना ब्यूरो; पीआरएस।

अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी।<sup>14</sup> यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस दोनों की विशेषताएं हैं (तालिका 1 देखें)। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार का अंशदान कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14% से बढ़कर

18.5% हो जाएगा।<sup>15,16</sup> कर्मचारी के अंशदान (वर्तमान में मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10%) में कोई वृद्धि नहीं होगी।


महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने का फैसला किया है।<sup>17,18</sup> कुछ अन्य राज्य सरकारें भी यूपीएस को दोबारा से लागू करने के असर का विश्लेषण कर रही हैं।<sup>19,20</sup> एनपीएस से यूपीएस में स्थानांतरित होने पर राज्यों को अधिक व्यय करना पड़ सकता है क्योंकि नियोक्ता के अंशदान में वृद्धि होगी। अगर रोजगार के दौरान बनाया गया कोष सुनिश्चित पेंशन को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, तो राज्य सरकारों को अंतर की भरपाई करने के लिए वार्षिक बजट से धन आवंटित करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की योजना के अनुसार यूपीएस के तहत कर्मचारी भी सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान के हकदार हैं। यह ग्रैच्युटी के अतिरिक्त होगा और इसके साथ सुनिश्चित पेंशन की राशि कम नहीं होगी (पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर राज्यों के व्यय के लिए अनुलग्नक में तालिका 3 देखें)।<sup>14</sup>

## कई राज्य महिलाओं के लिए नकद अंतरण योजनाएं चला रहे हैं

2024-25 में नौ राज्यों ने महिला लाभार्थियों के लिए बड़े पैमाने पर बिना शर्त नकद अंतरण योजनाओं के क्रियान्वयन पर कुल एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा है। झारखंड ने भी (अपना बजट पेश करने के महीनों बाद) इसी तरह की एक योजना शुरू की है और हिमाचल प्रदेश ने भी इस योजना को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया है।<sup>21,22</sup> इसके अतिरिक्त ऐसी योजनाएं पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना में मौजूदा सरकारों के चुनावी वादों का हिस्सा हैं।<sup>23,24,25</sup>

ये योजनाएं मुख्य रूप से निम्न आय वाले परिवारों की महिलाओं को लक्षित हैं। लाभार्थियों की पहचान मुख्य रूप से आय और आयु सीमा के आधार पर की जाती है। राज्य आम तौर पर सरकारी कर्मचारियों, आयकर दाताओं और पेशेवरों को योजनाओं के दायरे से बाहर रखते हैं। पिछले दो वर्षों में ऐसे नकद अंतरण लागू करने वाले राज्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेखाचित्र 8 में प्रदर्शित राज्यों में से केवल असम और पश्चिम बंगाल में 2022-23 में ऐसी योजनाएं थीं। 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार, कर्नाटक में ऐसे नकद अंतरण पर लगभग 28,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। महाराष्ट्र ने इस योजना के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस पर हर वर्ष लगभग 46,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।<sup>26</sup>

### रेखाचित्र 8: कुल व्यय में नकद अंतरण योजनाओं की हिस्सेदारी राज्यों में व्यापक रूप से भिन्न है



नोट: गैर-प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, पेंशन और ब्याज पर खर्च शामिल नहीं है। दिल्ली के लिए, वेतन के आंकड़े 2023-24 के बजट अनुमान के अनुसार हैं। योजनाओं पर व्यय बजट अनुमान के अनुसार है और इसमें अनुपूरक आवंटन शामिल नहीं हैं। महाराष्ट्र के लिए, बजट आवंटन के बजाय अनुमानित वार्षिक व्यय पर विचार किया गया है। स्रोत: राज्यों के बजट दस्तावेज़; आरबीआई; पीआरएस।

बिना शर्त नकद अंतरण योजनाओं को लागू करने से लाभार्थियों की उपभोग क्षमता में सुधार हो सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से प्रायोजित एक अध्ययन में पाया गया कि राज्य में लक्ष्मीर भंडार के लाभार्थियों ने अपने भते घरेलू खर्च, शिक्षा, चिकित्सा खर्च और छोटे व्यावसायिक उद्यमों में निवेश पर खर्च किए।<sup>27</sup> नकद अंतरण से महिलाओं की अत्यधिक गरीबी दूर हो सकती है और उन्हें और उनके परिवार को पोषक भोजन मिल सकता है।<sup>28,29</sup>

### तालिका 2: राज्यों में महिलाओं के लिए नकद अंतरण योजनाओं के तहत लाभ


राज्य	योजना का लाभ	लाभ प्रति माह (रुपए में)	आवंटन 2024-25 बज (करोड़ रुपए में)
असम	अरुणोदोई	1,250	3,800
छत्तीसगढ़	महतारी वंदन योजना	1,000	3,000
दिल्ली	मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना	1,000	2,000
कर्नाटक	गृहोलक्ष्मी	2,000	28,608
महाराष्ट्र	मुख्यमंत्री माझी लाइकरी बहीण योजना	1,500	10,000 (योजना पर सालाना 46,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे)
मध्य प्रदेश	मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना	1,250	18,984
ओडिशा	सुभद्रा योजना	833	10,000
तमिलनाडु	मगलीर उरीमाई थोगई	1,000	13,720
पश्चिम बंगाल	लक्ष्मीर भंडार	1,000-1,200	14,400

स्रोत: संबंधित योजनाओं की वेबसाइट्स; राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## कुछ गरीब राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत प्रति व्यक्ति अनुदान कम है

पिछले दशक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान राज्यों को कुल केंद्रीय हस्तांतरण का लगभग 20% रहा है। सीएसएस केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाती हैं और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। अक्सर ये योजनाएं राज्य सूची या समवर्ती सूची में आने वाले विषयों से संबंधित होती हैं और उनका वित्त पोषण केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है।<sup>30</sup> केंद्र द्वारा कार्यान्वित कुछ सीएसएस शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे विषयों से संबंधित हैं। सीएसएस को राज्यों में सार्वजनिक सेवा के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।<sup>31</sup> इनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में एससी/एसटी के विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सेवा प्रावधान के स्तर को बराबर करना है।


**रेखाचित्र 9: सीएसएस के लिए अनुदान राज्यों को कुल केंद्रीय हस्तांतरण का लगभग 20% है**



नोट: हस्तांतरण में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ऋण, जीएसटी क्षतिपूर्ति और पूंजीगत व्यय शामिल नहीं हैं। BE बजट अनुमान है और RE संशोधित अनुमान है। स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

सीएसएस के लिए केंद्र से प्रति व्यक्ति हस्तांतरण राज्यों में व्यापक रूप से भिन्न है। उदाहरण के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ गरीब राज्यों को प्रति व्यक्ति लगभग 1,600 रुपए मिलते हैं, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे कुछ अमीर राज्यों को 2,500 रुपए से अधिक मिलते हैं। यह पैटर्न भी सिलसिलेवार नहीं है। गुजरात और हरियाणा जैसे कुछ अमीर राज्यों को प्रति व्यक्ति 1,200 रुपए से 1,400 रुपए के बीच मिलता है। 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि कम राजकोषीय और संस्थागत क्षमता वाले राज्यों को इन योजनाओं के वित्तपोषण में अपने हिस्से का योगदान देना मुश्किल हो सकता है।<sup>32</sup> इन अनुदानों के अंतर-राज्यीय वितरण का फार्मूला केवल सेवा की कमी पर आधारित नहीं है।<sup>31</sup> यह विभिन्न अनुपालन आवश्यकताओं के रूप में राज्य की क्षमता पर भी निर्भर करता है।<sup>31</sup> वित्त आयोग ने कहा था कि अमीर राज्यों को अधिक हिस्सा मिलता है, और उसने सुझाव दिया है कि इन योजनाओं को आउटपुट-आधारित शर्तों के साथ समान प्रति व्यक्ति हस्तांतरण की ओर बढ़ना चाहिए।<sup>32</sup>

**रेखाचित्र 10: प्रति व्यक्ति सीएसएस अनुदान राज्यों में व्यापक रूप से भिन्न है (2017-22 के लिए औसत, रुपए में)**



नोट: सीएसएस के लिए वित्त पोषण का केंद्रीय हिस्सा उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए अधिक है। स्रोत: अतारंकित प्रश्न संख्या 999, राज्यसभा, 26 जुलाई, 2022; जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट (2011-2036), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; पीआरएस।

2015 में मुख्यमंत्रियों की एक समिति ने सुझाव दिया था कि सीएसएस की संख्या कम की जानी चाहिए ताकि उनकी दृश्यता और प्रभाव में सुधार हो।<sup>30</sup> उसने कहा था कि मुख्य योजनाओं में गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेशन, पेयजल और ग्रामीण कनेक्टिविटी को शामिल किया जाना चाहिए।<sup>30</sup> 15वें वित्त आयोग ने भी इन योजनाओं के वार्षिक वित्त पोषण के लिए एक सीमा तय करने का सुझाव दिया था।<sup>33</sup> उस सीमा से कम वित्त पोषण




होने पर योजना को बंद कर दिया जाना चाहिए। 2022-23 के केंद्रीय बजट के अनुसार, सीएसएस योजनाओं की संख्या 130 से घटाकर 65 कर दी गई।<sup>34</sup> हालांकि तब से कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। 2024-25 के केंद्रीय बजट में 74 योजनाओं के लिए केंद्रीय धन आवंटित किया गया है।<sup>35</sup> इनमें से सात योजनाओं के लिए सीएसएस का कुल व्यय लगभग 70% है।

### स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित मात्रा से कम अनुदान जारी किया गया

संविधान के अनुसार, वित्त आयोग राज्यों में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को संसाधनों की पूर्ति के लिए उपायों का सुझाव देता है।<sup>36</sup> कई वित्त आयोगों ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए अनुदान का सुझाव दिया है। हालांकि इन अनुदानों के तहत वितरित वास्तविक राशि अनुशंसित राशि से कम रही है। 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि चूंकि स्थानीय सरकारें कुछ अनुदान प्राप्त करने के लिए संलग्न शर्तों को पूरा नहीं कर पाईं, इसलिए ऐसा हुआ।<sup>37</sup> समय-समय पर केंद्र सरकार ने अतिरिक्त शर्तें भी निर्दिष्ट की हैं।<sup>37</sup>

रेखाचित्र 11: केंद्र से राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए अनुदान जारी करने में कमी



स्रोत: 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट; केंद्रीय बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

15वें वित्त आयोग ने 2021-22 और 2025-26 के दौरान स्थानीय निकायों के लिए 4.4 लाख करोड़ रुपए के अनुदान का सुझाव दिया था। इन अनुदानों में से 54% आरएलबी के लिए अनुशंसित थे, इसके बाद यूएलबी (28%) और प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र (16%) के लिए थे। डायग्नॉस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सहायता और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए स्वास्थ्य अनुदान को स्थानीय निकायों के माध्यम से आवंटित किया जाना था। 2021-22 और 2023-24 के बीच इन अनुदानों के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जाने थे। हालांकि इस अवधि में कुल अनुशंसित अनुदान का लगभग 80% ही जारी किया गया था। जबकि 2021-22 और 2023-24 के बीच आरएलबी अनुदान का 90% से अधिक जारी किया गया था, यूएलबी और प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जारी अनुदान का हिस्सा कम था (देखें रेखाचित्र 12)।

अनुदान कम जारी होने का एक कारण यह हो सकता है कि इनमें से कुछ अनुदानों की शर्तें पूरी नहीं हो पाईं। इन अनुदानों के लिए 15वें वित्त आयोग की कुछ शर्तें इस प्रकार हैं: (i) स्थानीय निकायों (आरएलबी और यूएलबी के लिए) के अनंतिम और ऑडिटेड खातों की ऑनलाइन उपलब्धता, और (ii) राज्यों द्वारा संपत्ति कर की न्यूनतम दरों को अधिसूचित करना, साथ ही औसत जीएसडीपी वृद्धि (यूएलबी के लिए) के अनुरूप संपत्ति कर संग्रह में वृद्धि।<sup>37</sup> पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, 2021-22 में 94% और 2022-23 में 93% ग्राम पंचायतों के लिए ऑडिट पूरा हो गया है।<sup>38</sup> इसके अतिरिक्त, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कुछ अनुदान भी निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, कुल आरएलबी अनुदान का 60% पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण और स्वच्छता के लिए निर्धारित किया गया है। यूएलबी के लिए, टाइड अनुदान की राशि 73% से अधिक है।


15वें वित्त आयोग की निर्धारित अवधि के बाद के वर्षों में अतिरिक्त शर्तें लागू होंगी। उदाहरण के लिए, यह देखा गया है कि कई राज्य सरकारों ने समय पर अपने संबंधित राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया था। वित्त आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यों को राज्य वित्त आयोग का गठन करना चाहिए, उनके सुझावों पर अमल करना चाहिए, और मार्च 2024 तक की गई कार्रवाई पर एक जापन प्रस्तुत करना चाहिए।<sup>37</sup> मार्च 2024 के बाद इस सुझाव का पालन न करने वाले राज्यों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा।<sup>37</sup> मई 2023 तक 21 राज्यों ने अपने राज्य वित्त आयोग का गठन किया था।<sup>39</sup>

### सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य खनिजों से अतिरिक्त राजस्व जुटा सकते हैं

जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के फैसले को पलट दिया, और खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा।<sup>40</sup> उसने फैसला दिया कि राज्य विधानमंडलों के पास भूमि कर लगाने की शक्ति है और इसमें खदानें (माइन्स और क्वेरीज) शामिल हैं।<sup>40</sup> इससे पहले राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने खदानों से जमा कोयले और कोयला-धूल के परिवहन के लिए पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर लगाने का प्रयास किया है।<sup>40</sup> 2005 में ओडिशा ने राज्य में खनिज-युक्त भूमि पर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक-आर्थिक विकास कर लगाने के लिए एक कानून अधिसूचित किया था।<sup>41</sup> सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य खनन कार्यों पर शुल्क लगाकर अतिरिक्त राजस्व जुटा सकते हैं।

खनिजों से किसी भी संभावित राजस्व के अलावा राज्यों को पूर्वव्यापी मांगों से भी राजस्व प्राप्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य 1 अप्रैल, 2005 के बाद से किए गए लेनदेन पर खनन कार्यों से संबंधित कर की मांग कर सकते हैं या उसे नवीनीकृत कर सकते हैं।<sup>42</sup> हालांकि ऐसी कर मांगें अप्रैल 2026 से शुरू होकर 12 वर्षों में किश्तों में देय होंगी। इसके अतिरिक्त 25 जुलाई, 2024 से पहले की अवधि के लिए की गई कर मांगों पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। भारतीय खनिज उद्योग महासंघ के अनुमान के अनुसार फैसले के परिणामस्वरूप खनन कंपनियों को दो लाख करोड़ रुपए तक का बकाया देना पड़ सकता है।<sup>43,44</sup> उल्लेखनीय है कि कुछ राज्य खनन क्षेत्र से गैर-कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी प्राप्त करते हैं (देखें रेखाचित्र 14)।

रेखाचित्र 12: 2022-23 और 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 30% से कम अनुदान जारी किया गया




नोट: 2023-24 के आंकड़े संशोधित अनुमान के अनुसार हैं। स्रोत: 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट; केंद्रीय बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

### केस स्टडी: खनिजों पर उपकर से राज्यों की राजस्व क्षमता


अगस्त 2024 में झारखंड ने राज्य में खनिज वाली भूमि पर उपकर लगाने के लिए एक कानून पारित किया।<sup>45</sup> कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और चूना पत्थर जैसे खनिजों पर उपकर लागू होता है। निम्नलिखित आंकड़ों में कोयला और लौह अयस्क भंडार वाले राज्यों की राजस्व क्षमता की तुलना की गई है, अगर वे झारखंड कानून के तहत प्रदान की गई समान दरों पर उपकर लगाते हैं। उल्लेखनीय है कि 2021-22 में भारत में उत्पादित खनिजों की कुल मात्रा में कोयले और लौह अयस्क की हिस्सेदारी 60% से अधिक थी। झारखंड में प्रत्येक टन कोयला और लौह अयस्क के प्रेषण पर उपकर की दर 100 रुपए प्रति टन है।

**रेखाचित्र 13: झारखंड के समान दर पर कोयला और लौह अयस्क पर उपकर से अनुमानित राजस्व क्षमता (2021-22 में करोड़ रुपए)**



नोट: कोयला और लौह अयस्क का आंकड़ा 2021-22 का है। कोयले के लिए कुल राजस्व की गणना प्रेषित मात्रा के आधार पर की गई है। लौह अयस्क से राजस्व की गणना उत्पादन के आधार पर की गई है क्योंकि प्रेषण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। स्रोत: भारतीय खनिज ईयरबुक- 2022, भारतीय खान ब्यूरो; झारखंड खनिज धारण भूमि बिल, 2024; पीआरएस।

**रेखाचित्र 14: 2021-22 में खनन से गैर-कर राजस्व (करोड़ रुपए में)**




स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; कैग; पीआरएस।

जबकि खनिजों पर शुल्क लगाने से राज्यों को अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है, इससे उन उद्योगों में कच्चे माल की लागत भी बढ़ सकती है जहां ऐसे खनिजों का उपयोग इनपुट के रूप में किया जाता है। एक अंतर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट (2024) में पाया गया कि कोयले पर कुल कर इसकी मूल कीमत का 37% से 115% के बीच था।<sup>46</sup> यह अनुमान लगाया गया था कि कोयले की कीमत में 100 रुपए प्रति टन की वृद्धि से बिजली लगभग 0.06 रुपए प्रति यूनिट महंगी हो जाएगी।<sup>46</sup> फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनेरल इंडस्ट्रीज (2017) द्वारा किए गए एक अनुमान के अनुसार, लौह अयस्क खदानों पर प्रभावी कर की दर भारत में 60% से 64% के बीच है।<sup>47</sup> इंडोनेशिया (38% से 46%), दक्षिण अफ्रीका (40%), कनाडा (34% से 40%), और चिली (38%) जैसे अन्य देशों में यह दर कम थी।<sup>47</sup>

## बिजली खरीद की उच्च लागत के कारण डिस्कॉम्स के घाटे बढ़े

अधिकांश राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) का स्वामित्व राज्य सरकारों के पास है। राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम्स का खराब प्रदर्शन राज्य के वित्त और बिजली क्षेत्र के प्रदर्शन पर लगातार दबाव बना रहा है।<sup>48</sup> 2022-23 में 28 राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम्स ने 62,111 करोड़ रुपए का कुल घाटा दर्ज किया। यह 2021-22 में इन डिस्कॉम्स द्वारा दर्ज किए गए कुल घाटे का दोगुना था। आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के बीच का अंतर बढ़कर 0.47 रुपए प्रति यूनिट हो गया, जो पिछले छह वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में बिजली की प्रति यूनिट लागत में 15% की वृद्धि के कारण उच्च घाटा हुआ। बिजली की लागत प्रति यूनिट एसीएस का 75% से अधिक है।


**रेखाचित्र 15: राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम्स का लगातार घाटा (करोड़ रुपए में)**



स्रोत: विद्युत वित्त निगम; पीआरएस।

बिजली की लागत में वृद्धि का एक प्रमुख कारण आयातित कोयले पर बढ़ती निर्भरता थी। बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल कुल कोयले में आयातित कोयले की हिस्सेदारी लगभग 5% -10% के बीच रही है। हालांकि इनकी कीमतें घरेलू कोयले की तुलना में बहुत अधिक हैं। कोयले के घटते भंडार के साथ, 2022-23 में कोयले का आयात बढ़कर 56 मिलियन टन हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 107% की वृद्धि है।<sup>49</sup> भारत के आयातित कोयले की औसत कीमत 2021-22 में 8,300 रुपए प्रति टन से बढ़कर 2022-23 में 12,500 रुपए प्रति टन से अधिक हो गई।<sup>49</sup> कुछ राज्य ईंधन की बढ़ती कीमतों को मूल्य निर्धारण में ऑटोमैटिक पास-थ्रू करने की अनुमति नहीं देते हैं, यानी ईंधन की कीमत बढ़ने पर मूल्य बढ़ाने की अनुमति नहीं है।<sup>49</sup> इसके अतिरिक्त बिजली की कम कीमत राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम्स के लिए लगातार एक बड़ा मुद्दा रहा है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु सरकार (2021) के एक श्वेत पत्र में कहा गया था कि राज्य में बिजली दरों को सात वर्षों से संशोधित नहीं किया गया था।<sup>50</sup>

**रेखाचित्र 16: 2022-23 में 20 राज्य आपूर्ति की लागत वसूलने में असमर्थ रहे**



AP AS BR CG DL GA GJ HP HR JH KA KL MG MH MN MP MZ NL PB PY RJ SK TN TR TS UK UP WB  
नोट: एसीएस-एआरआर अंतर सबसिडी बिल के आधार पर सकल इनपुट ऊर्जा के अनुसार है। ओडिशा को बाहर रखा गया है क्योंकि उसने 2020-21 में डिस्कॉम्स का निजीकरण कर दिया है। स्रोत: बिजली वित्त निगम; पीआरएस।

वितरण में बिजली के नुकसान के कारण होने वाले तकनीकी घाटे तथा बिल और शुल्क एकत्र करने में असमर्थता के कारण वाणिज्यिक घाटे से भी नुकसान बढ़ गया है। उदय योजना के तहत, राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम्स को कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे (एटीएंडसी) को 15% तक कम करना था और 2018-19 तक एसीएस-एआरआर अंतर को खत्म करना था।<sup>51</sup> 2022-23 में राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम्स का एटीएंडसी घाटा 16% था (राज्य-वार आंकड़ों के लिए अनुलग्नक में तालिका 5 देखें)। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) का लक्ष्य 2024-25

तक एसीएस-एआरआर अंतर को खत्म करना और एटीएंडसी घाटे को 12% -15% तक कम करना है।<sup>52</sup> आरडीएसएस के तहत प्रमुख उपायों में से एक बिलिंग और कलेक्शन में सुधार के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर की शुरुआत है।

राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम के लगातार घाटे का निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 2022 और 2027 के बीच वितरण संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने के लिए डिस्कॉम को 4.3 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।<sup>53</sup> इस राशि में से आरडीएसएस सहित विभिन्न स्रोतों से डिस्कॉम के पास उपलब्ध कुल निवेश 1.9 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।<sup>53</sup> संसाधन जुटाने के कई स्रोतों में से एक स्रोत निवेश है। हालांकि राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम्स पर पहले से ही काफी कर्ज है। मार्च 2023 तक राज्य डिस्कॉम्स का बकाया कर्ज 6.6 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 2.5%) था।

## राज्य वित्त की प्रवृत्तियां


---

इस खंड में 2024-25 के बजट अनुमानों के आधार पर राज्य के वित्त के रुझानों पर चर्चा की गई है।

### अधिकांश राज्यों के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत, स्वयं कर राजस्व है

राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) स्वयं कर राजस्व और (ii) केंद्र सरकार से हस्तांतरण। स्वयं कर राजस्व में राज्य सरकारों द्वारा कर और गैर-कर स्रोतों से अर्जित राजस्व शामिल है। केंद्रीय हस्तांतरण में वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित केंद्रीय करों के हिस्से का हस्तांतरण और सहायता अनुदान शामिल है। केंद्र द्वारा सहायता अनुदान में वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान शामिल हैं। 2024-25 में राज्यों को अपनी राजस्व प्राप्तियों का 58% स्वयं कर और गैर-कर स्रोतों से जुटाने का अनुमान है, जबकि 42% केंद्रीय करों और केंद्र से अनुदान के हस्तांतरण प्राप्त होने का अनुमान है।

रेखाचित्र 17: राजस्व प्राप्तियां उत्पन्न करने की क्षमता राज्यों में भिन्न-भिन्न है (2024-25, आंकड़े % में)



नोट: दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुद्दूचेरी को केंद्रीय करों का हस्तांतरण नहीं होता है क्योंकि वे केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

अधिकतर राज्यों के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत, स्वयं कर राजस्व होने का अनुमान है। अनुमान है कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना अपनी राजस्व प्राप्तियों का 50% से अधिक स्वयं कर राजस्व के माध्यम से जुटाएंगे। 2024-25 में राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के गैर-कर स्रोतों से राजस्व केवल 8% होने का अनुमान है। हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे कुछ खनिज समृद्ध राज्यों के लिए गैर-कर राजस्व काफी अधिक होने का अनुमान है। गोवा और पुद्दूचेरी में बिजली वितरण एक विभागीय कार्य होने के कारण गैर-कर राजस्व औसत से अधिक हो सकता है। अधिकतर राज्यों में बिजली वितरण राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा किया जाता है।

कुछ राज्य अपनी राजस्व प्राप्तियों के लिए केंद्रीय हस्तांतरण पर अधिक निर्भर हैं। अनुमान है कि बिहार, जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य अपने राजस्व का 60% से अधिक केंद्र से हस्तांतरण और अनुदान से जुटाएंगे। केंद्रीय अंतरण में हस्तांतरण का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मिजोरम और सिक्किम के लिए अधिक है, जबकि अनुदान का हिस्सा जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, नगालैंड और त्रिपुरा के लिए अधिक अनुमानित है। केंद्रीय करों का हस्तांतरण अनटाइड है और राज्य उन्हें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च कर सकते हैं। अनुदान टाइड हो सकते हैं, जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए, या अनटाइड हो सकते हैं जैसे राजस्व घाटा अनुदान। केंद्र यह निर्धारित करने के लिए शर्तें लगा सकता है कि कौन से राज्य टाइड अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं और इस अनुदान को किस

तरीके से खर्च किया जा सकता है। 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2024-25 में केंद्र से अनुदान 2% कम होने का अनुमान है। इसका एक कारण कुछ राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान में कमी हो सकती है।


### 16वें वित्त आयोग का गठन

संविधान राष्ट्रपति को हर पांच वर्ष में एक वित्त आयोग के गठन का अधिकार देता है।<sup>36</sup> वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण का सुझाव देता है। यह राज्यों को संघ से कुछ निश्चित सहायता अनुदान देने का सुझाव भी प्रदान करता है। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया) के गठन को अधिसूचित किया।<sup>54</sup> आयोग 31 अक्टूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें 1 अप्रैल, 2026 से पांच वर्ष की अवधि के लिए सुझाव शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: श्री एन.के. सिंह) के सुझाव वर्तमान में 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी हैं। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी करों के विभाज्य पूल का 41% करने का सुझाव दिया था। विभाज्य पूल में कर जमा करने की लागत और केंद्र सरकार द्वारा वसूले जाने वाले उपकर तथा अधिभार को नहीं जोड़ा जाता है।

### राज्य का स्वयं कर राजस्व 2024-25 में जीएसडीपी का 7% अनुमानित

2024-25 में राज्यों ने कुल मिलाकर 7% स्वयं कर जीएसडीपी अनुपात का अनुमान लगाया है। अगर स्वयं कर जीएसडीपी अनुपात अधिक होता है तो इसका अर्थ यह होता है कि राज्य अपनी आर्थिक गतिविधियों से अधिक कर प्राप्त कर रहा है। अधिकांश राज्यों ने बजट में वास्तविक स्वयं कर जीएसडीपी अनुपात 6% से 8% के बीच रखा है। पूर्वोत्तर राज्यों मिज़ोरम, नगालैंड और सिक्किम के लिए स्वयं कर-जीएसडीपी अनुपात 2.7% से 4.1% के बीच अनुमानित है। उत्तर प्रदेश ने जीएसडीपी अनुपात में सबसे अधिक 10.3% का स्वयं कर बजट रखा है। हालांकि यह ज्यादा अंदाजा भी हो सकता है। 2022-23 में उत्तर प्रदेश का स्वयं कर-जीएसडीपी अनुपात 7.7% था, जबकि बजट अनुमान 10.3% था।

### रेखाचित्र 18: पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्वयं कर राजस्व स्तर कम है




नोट: दिल्ली, पुद्दुचेरी और त्रिपुरा को उपरोक्त चार्ट में नहीं दिखाया गया है क्योंकि उनके लिए 2024-25 जीएसडीपी अनुमान उपलब्ध नहीं है। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

### एसजीएसटी स्वयं कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है

2024-25 में राज्यों के स्वयं कर राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एसजीएसटी (राजस्व प्राप्तियों का 44%) (जीएसटी पर चर्चा के लिए पृष्ठ 9 देखें), (ii) बिक्री कर/वैट (21%), (iii) उत्पाद शुल्क (14%), (iv) स्टॉप इयूटी (12%), और (v) अन्य स्रोतों से राजस्व, जैसे वाहनों और बिजली पर कर (10%)। एसजीएसटी पर राज्यों का नियंत्रण सीमित है, क्योंकि जीएसटी के तहत कर दरों पर निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाता है जिसमें सभी राज्य और केंद्र शामिल होते हैं। बिक्री कर/वैट और उत्पाद शुल्क स्वयं कर राजस्व के अन्य दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राज्य पेट्रोलियम उत्पादों और शराब पर बिक्री कर/वैट और शराब पर उत्पाद शुल्क लगा सकते हैं। इन दोनों वस्तुओं को अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है। बिहार, गुजरात, मिज़ोरम और नगालैंड जैसे राज्यों में उत्पाद शुल्क से लगभग शून्य राजस्व है क्योंकि इन राज्यों में शराबबंदी है।

रेखाचित्र 19: 2024-25 में स्वयं कर राजस्व की संरचना (जीएसडीपी के % के रूप में)



नोट: दिल्ली, पुद्दुचेरी और त्रिपुरा को उपरोक्त चार्ट में नहीं दिखाया गया है क्योंकि उनके लिए 2024-25 जीएसडीपी अनुमान उपलब्ध नहीं है। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

### स्टांप ड्यूटी की दरों को सुव्यवस्थित करना


राज्य संपत्ति लेनदेन से स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क वसूलते हैं। इस शुल्क का भुगतान भूमि या निर्मित संपत्ति के खरीदारों द्वारा किया जाता है।<sup>55</sup> भारत में सभी राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी 5% से 8% के बीच है, जबकि अंतरराष्ट्रीय औसत 5% से कम है।<sup>4</sup> कई राज्यों के स्वयं कर राजस्व में स्टाम्प ड्यूटी का योगदान 10% से अधिक होने की उम्मीद है। जिन राज्यों ने 2024-25 में स्टाम्प ड्यूटी से अधिक राजस्व का बजट रखा है, उनमें हरियाणा (स्वयं कर राजस्व का 18%), महाराष्ट्र (16%), उत्तर प्रदेश (14%), और बिहार (14%) शामिल हैं। अगर रियल एस्टेट में स्टाम्प ड्यूटी की दर अधिक होती है तो उससे जुड़ा लेनदेन छिपाया जाता है और कर चोरी को बढ़ावा मिलता है।<sup>55</sup> आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से 2020 में कमीशन किए गए एक अध्ययन में सुझाव दिया गया था कि निम्न मूल्य वाले आवासों के लिए स्टाम्प ड्यूटी को या तो कम कर दिया जाए या पूरी तरह से हटा दिया जाए।<sup>55</sup> अध्ययन में कहा गया था कि इससे राज्यों का राजस्व कम नहीं होगा क्योंकि उन्हें हाउसिंग स्टॉक बढ़ने और उसके बाद के लेनदेन से अतिरिक्त कर राजस्व प्राप्त होगा।<sup>55</sup> प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्यों को कुछ सुधार करने होंगे।<sup>56</sup> इन सुधारों में योजना के तहत पंजीकृत 60 वर्ग मीटर तक के घरों के लिए नाममात्र स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क (1% से कम) लगाना शामिल है।<sup>56</sup> स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क में संशोधन दिसंबर 2024 तक किया जाना चाहिए।<sup>56</sup>



## स्वयं गैर-कर राजस्व जीएसडीपी का लगभग 1.2% होने का अनुमान

2024-25 में राज्यों ने अनुमान लगाया है कि उनका स्वयं गैर-कर राजस्व उनके जीएसडीपी का लगभग 1.2% होगा। स्वयं गैर-कर स्रोतों से जुटाए गए राजस्व की सीमा भी अलग-अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है। छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में उनके जीएसडीपी के 3% -6.3% के बीच गैर-कर राजस्व बढ़ने का अनुमान है। उनके गैर-कर राजस्व का 80% से अधिक खनन क्षेत्र से प्राप्त होने का अनुमान है। ओडिशा का गैर-कर राजस्व (जीएसडीपी का 6.3%) 2024-25 में स्वयं कर राजस्व के लगभग बराबर होने का अनुमान है। आरबीआई (2023) ने कहा था कि जो राज्य खनिज समृद्ध हैं, वहां अवैध खनन गतिविधियों को काबू में करने से गैर कर राजस्व बढ़ सकता है। खनिजों से राजस्व पर चर्चा के लिए पृष्ठ 16 देखें।<sup>4</sup> आरबीआई (2023) के अनुसार, राज्य गैर-कर राजस्व बढ़ाने के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण संबंधी पहल में तेजी ला सकते हैं।<sup>4</sup> परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत सार्वजनिक परिसंपत्ति से कई तरह से राजस्व अर्जित किया जाता है जैसे निजी क्षेत्र को लीज़ पर देना। आरबीआई ने सुझाव दिया था कि राज्य सरकारें सड़क, परिवहन और बिजली क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण कर सकती हैं।<sup>4</sup> अप्रयुक्त भूमि को औद्योगिक संपदा में परिवर्तित करके अतिरिक्त राजस्व भी उत्पन्न किया जा सकता है।<sup>4</sup>

**रेखाचित्र 20: खनिज-समृद्ध राज्यों को अधिक गैर कर राजस्व प्राप्त होता है**




नोट: दिल्ली, पुद्दुचेरी और त्रिपुरा को उपरोक्त चार्ट में नहीं दिखाया गया है क्योंकि उनके लिए 2024-25 जीएसडीपी अनुमान उपलब्ध नहीं है। गोवा जैसे कुछ राज्यों के लिए गैर-कर राजस्व में बिजली वितरण राजस्व शामिल है जो अन्य राज्यों के बजट का हिस्सा नहीं है। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा काफी अधिक

किसी सरकार के व्यय को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) राजस्व व्यय और (ii) पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय प्रकृति में आवर्ती होता है, और इसमें वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सबसिडी पर व्यय शामिल होता है। पूंजीगत व्यय परिसंपत्ति निर्माण या देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें पूंजीगत परिव्यय शामिल है जिससे स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों एवं पुलों जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। इसमें ऋणों का पुनर्भुगतान और सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम भी शामिल हैं। 2024-25 में राज्यों का राजस्व व्यय उनके कुल व्यय का 84% होने का अनुमान है, जबकि पूंजीगत परिव्यय 16% होने का अनुमान है (विश्लेषण के लिए व्यय से ऋण घटकों को बाहर रखा गया है)। 2020-21 से केंद्र राज्यों को पूंजी परिव्यय के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर रहा है। 2024-25 में केंद्र ने इस मद में 1.5 लाख करोड़ रुपए देने का बजट रखा है। 2023-24 के संशोधित अनुमान के अनुसार, राज्यों को पूंजी परिव्यय के लिए ऋण के रूप में 1.06 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए, जो 1.3 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान से कम है।

## रेखाचित्र 21: राजस्व व्यय राज्यों के कुल व्यय का 84% होने का अनुमान




स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## राजस्व प्राप्तियों का 52% तीन मर्दों- वेतन, ब्याज और पेंशन पर खर्च किया जाएगा

किसी राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय शामिल होता है। इन मर्दों पर व्यय आमतौर पर अल्प से मध्यम अवधि में कम नहीं किया जा सकता है। राज्य बजट का एक बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय पर खर्च हो जाता है, जिसके कारण अन्य विकास गतिविधियों के लिए धनराशि कम हो जाती है। 2024-25 में राज्यों को अपनी राजस्व प्राप्तियों का 52% प्रतिबद्ध व्यय पर खर्च करने का बजट दिया गया है। इसमें राजस्व प्राप्तियों का 27% वेतन और मजदूरी पर, 13% पेंशन पर और 12% ब्याज पर खर्च किया जाना शामिल है। उल्लेखनीय है कि यूपीएस में जाने से राज्यों को पेंशन पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है (पृष्ठ 11 देखें)। अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश, केरल और पंजाब 2024-25 में अपनी राजस्व प्राप्तियों का 70% से अधिक प्रतिबद्ध व्यय पर खर्च करेंगे। 2024-25 में अपेक्षाकृत कम प्रतिबद्ध व्यय वाले राज्यों में ओडिशा, झारखंड और मणिपुर शामिल हैं।

## रेखाचित्र 22: राज्यों की राजस्व प्राप्तियों का आधे से अधिक हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय का है




नोट: राज्यों द्वारा बजट दस्तावेज़ों में शामिल नहीं किए गए 2024-25 के वेतन अनुमान रेखाचित्र में मौजूद नहीं हैं। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## राज्यों ने 2022-23 में अपनी राजस्व प्राप्तियों का 9% सबसिडी पर खर्च किया

2022-23 में 26 राज्यों ने अपनी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 9% सबसिडी पर खर्च किया। बिजली की आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी विभिन्न मर्दों के लिए राज्य सबसिडी दिया करते हैं। सबसिडी पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय वाले राज्यों में पंजाब (राजस्व प्राप्तियों का 24%), आंध्र प्रदेश (15%), राजस्थान (13%), और गुजरात (13%) शामिल हैं। कुछ राज्यों में मुफ्त या कम लागत वाली बिजली की आपूर्ति के लिए सबसिडी का एक बड़ा हिस्सा प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए पंजाब और राजस्थान में कुल सबसिडी का 95% से अधिक बिजली क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया था। 2022 में आरबीआई ने चिंता जताई थी कि कई राज्यों

ने बहुत अधिक सबसिडी की घोषणा की है।<sup>57</sup> उसने कहा था कि इससे विकास और पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध धनराशि कम हो सकती है।<sup>57</sup>

**रेखाचित्र 23: 2019-20 से पंजाब के सबसिडी व्यय का 90% से अधिक बिजली सबसिडी के लिए आवंटित**




स्रोत: कैंग फाइनेंस एकाउंट्स; राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

### 11 राज्यों ने 2024-25 में राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है

राजस्व घाटे का अर्थ यह है कि राज्य को राजस्व व्यय के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता होती है, जिससे न तो परिसंपत्ति निर्माण होता है और न ही देनदारियों में कमी होती है। राजस्व अधिशेष का उपयोग पूंजी परिव्यय या बकाया ऋण चुकाने के लिए किया जा सकता है। 2024-25 में 11 राज्यों को बजट स्तर पर राजस्व घाटा होने का अनुमान है। 13वें वित्त आयोग ने कहा था कि राजस्व संतुलन को बरकरार रखना राज्यों का दीर्घकालिक और स्थायी लक्ष्य होना चाहिए।<sup>58</sup> विभिन्न राज्यों के एफआरबीएम कानूनों के तहत भी उनसे राजस्व घाटे को खत्म करने की अपेक्षा की जाती है। जिन राज्यों ने 2024-25 में अपेक्षाकृत अधिक राजस्व घाटे का बजट रखा है, उनमें पंजाब (जीएसडीपी का 2.9%), आंध्र प्रदेश (2.1%), केरल (2.1%), और हिमाचल प्रदेश (2%) जैसे राज्य शामिल हैं।

15वें वित्त आयोग ने 2021-22 और 2025-26 के दौरान 17 राज्यों को 2.95 लाख करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान का सुझाव दिया है। आरबीआई ने कहा कि केंद्र से राज्यों को ऐसे अनुदान की समीक्षा की जानी चाहिए।<sup>4</sup> राजस्व घाटा अनुदान उन राज्यों को दिया जाता है, जिन्हें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कर हस्तांतरण के बाद उच्च राजस्व घाटा होने की उम्मीद है। आरबीआई ने कहा कि ऐसे संरक्षित राजस्व से राज्य अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने को प्रोत्साहित नहीं होंगे।<sup>4</sup>

**रेखाचित्र 24: कई राज्यों ने 2024-25 में राजस्व घाटे का बजट रखा है**



नोट: दिल्ली, पुद्दुचेरी और त्रिपुरा को उपरोक्त चार्ट में नहीं दिखाया गया है क्योंकि उनके लिए 2024-25 जीएसडीपी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। पुद्दुचेरी ने 2024-25 में राजस्व घाटे का बजट रखा है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बार स्केल के अनुरूप नहीं हैं। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## केस स्टडी: ओड़िशा का बजट स्थिरीकरण कोष


हाल के वर्षों में खनन क्षेत्र से प्राप्त राजस्व के कारण ओड़िशा के गैर कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2024-25 में राज्य का गैर-कर राजस्व जीएसडीपी का 6.3% होने का अनुमान है, जिसमें कुल गैर-कर राजस्व का 84% खनन क्षेत्र से आने का अनुमान है। खनन पट्टों के नवीनीकरण और खानों की ऑनलाइन नीलामी के परिणामस्वरूप उच्च खनन राजस्व प्राप्त हुआ है।<sup>59</sup> हालांकि खनन क्षेत्र से राजस्व अस्थिर हो सकता है और यह धातुओं की मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी कीमत के प्रति संवेदनशील होता है।<sup>60</sup> राज्य के अनुमान के मुताबिक, कमोडिटी की कीमतों में 20% बदलाव से राज्य के राजस्व पर 10,000 करोड़ रुपए का असर पड़ सकता है।<sup>61</sup> खनन राजस्व में संभावित उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को संतुलित करने के लिए ओड़िशा ने एक बजट स्थिरीकरण कोष की स्थापना की है।<sup>62</sup> इस कोष का प्रबंधन आरबीआई द्वारा किया जाता है और इसे ओड़िशा के राजस्व खाते में अधिशेष से वित्त पोषित किया जाता है।<sup>62</sup> इसे खनन राजस्व में किसी भी गिरावट की भरपाई के लिए एक रणनीतिक रिजर्व के रूप में तैयार किया गया है।<sup>60</sup> इससे ओड़िशा को वित्तीय स्थिरता और व्यय का एक निश्चित स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी।<sup>61</sup> 31 मार्च, 2023 तक कोष के पास 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपस था।<sup>62</sup>

## 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.2% रहने का अनुमान

राजकोषीय घाटे का अर्थ यह है कि सरकारी व्यय, उसकी प्राप्तियों से अधिक है। यह अंतर उधारियों से दूर किया जाता है। उच्च राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष में अधिक उधार लेने की आवश्यकता का संकेत होता है। 2024-25 में राज्यों ने कुल मिलाकर जीएसडीपी के 3.2% के राजकोषीय घाटे का बजट रखा है। 15वें वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार, 2024-25 के लिए राज्यों की राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी का 3% निर्धारित की गई है। अगर राज्य बिजली क्षेत्र में कुछ सुधार करते हैं तो जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति है।

2021-22 और 2024-25 के बीच अगर कोई राज्य एक वर्ष में अनुमत राजकोषीय घाटे से कम उधार लेता है, तो वह अगले किसी भी वर्ष में उस सीमा से अधिक उधार ले सकता है। राज्यों की राजकोषीय घाटे की सीमा की गणना में केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय (2024-25 में जीडीपी का 0.5%) के लिए दिए गए ऋण शामिल नहीं किए जाते हैं। ये 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण हैं और इनका राज्यों के ऋण सेवा दायित्वों पर मामूली प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले राज्य सरकारों और उनके कर्मचारियों द्वारा किए गए एनपीएस अंशदान की मात्रा के आधार पर उधार लेने की सीमा भी बढ़ाई गई है।<sup>63</sup> 2024-25 में 15 राज्यों ने अनुमान लगाया है कि उनका राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% से अधिक होगा। अपेक्षाकृत उच्च राजकोषीय घाटे वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश (जीएसडीपी का 4.7%), सिक्किम (5.4%), आंध्र प्रदेश (4.2%), मध्य प्रदेश (4.1%), और राजस्थान (3.9%) शामिल हैं।

## रेखाचित्र 25: 15 राज्यों ने अपने राजकोषीय घाटे का बजट जीएसडीपी (2024-25 बअ) के 3% से अधिक रखा है



नोट: दिल्ली, पुद्दुचेरी और त्रिपुरा को रेखाचित्र में नहीं दिखाया गया है क्योंकि इन राज्यों के लिए 2024-25 जीएसडीपी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। आंकड़े राज्यों द्वारा उनके संबंधित बजट दस्तावेजों के अनुरूप हैं। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।


## मार्च 2024 तक राज्यों की बकाया देनदारियां जीएसडीपी का 27.6% अनुमानित

पहले के वर्षों से राज्यों के संचित ऋण को बकाया देनदारियां कहते हैं। इसमें कुछ अन्य देनदारियां भी शामिल हैं जैसे सार्वजनिक खाते की देनदारियां। उच्च बकाया देनदारियां का अर्थ यह है कि आने वाले वर्षों में राज्यों पर ऋण

चुकाने का अधिक दायित्व है। इससे राज्यों को अधिक ब्याज भुगतान भी करना पड़ सकता है। राज्यों के एफआरबीएम एक्ट आमतौर पर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया देनदारियों की सीमा निर्दिष्ट करते हैं। 2017 में एफआरबीएम समीक्षा समिति (अध्यक्ष: श्री एन.के. सिंह) ने सुझाव दिया था कि राज्यों की बकाया देनदारियों की सीमा जीडीपी के 20% पर निर्धारित की जाए।<sup>64</sup> राज्यों की बकाया देनदारियां 2003-04 में जीएसडीपी के 31.8% से घटकर 2014-15 में जीएसडीपी का 21.7% हो गई थीं।

हाल के वर्षों में राज्यों की बकाया देनदारियां आंशिक रूप से व्यय के कारण बढ़ी हैं, जैसे कि कृषि ऋण माफी और उदय योजना के तहत ऋण वहन और कोविड-19 के दौरान व्यय को वित्त पोषित करने के लिए बढ़ी हुई उधारियां। 2020-21 में राज्यों की राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी के 5% तक बढ़ा दी गई थी क्योंकि आर्थिक गतिविधि में कमी के साथ कर राजस्व में गिरावट आई थी। परिणामस्वरूप राज्यों की बकाया देनदारियां 2019-20 के अंत में जीएसडीपी के 26.6% से बढ़कर 2020-21 के अंत में जीएसडीपी के 31% तक पहुंच गईं। 2023-24 के अंत में, राज्यों की बकाया देनदारियां जीएसडीपी का 27.6% होने का अनुमान है। मार्च 2024 तक, 19 राज्यों की बकाया देनदारियां जीएसडीपी के 30% से अधिक होने का अनुमान है।

**रेखाचित्र 26: 19 राज्यों के लिए जीएसडीपी के 30% से अधिक बकाया देनदारियां (मार्च 2024 तक)**




नोट: आंकड़े बजट अनुमान के अनुसार हैं। स्रोत: आरबीआई; पीआरएस।

### राज्य सरकारों की बकाया गारंटी

राज्यों की बकाया देनदारियों में कुछ अन्य देनदारियां शामिल नहीं हैं जो प्रकृति में आकस्मिक हैं और जिन्हें राज्यों को कुछ मामलों में चुकाना पड़ सकता है। राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य स्तरीय उद्यमों की उधारियों की गारंटी लेती हैं। ये उधारियां वित्तीय संस्थानों से ली जाती हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इन उद्यमों की क्रेडिट प्रोफाइल खराब होती है और सरकारी गारंटी से उनके लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है। अगर उद्यम अपने ब्याज या मूल भुगतान में चूक करता है, तो राज्य सरकार भुगतान करने के लिए बाध्य होगी। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2024 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि उसके पास ब्याज भुगतान के लिए पर्याप्त धन नहीं है।<sup>65</sup> चूंकि एमटीएनएल द्वारा जारी किए गए सभी बांड्स की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, इसलिए केंद्र को उस ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, जिन्हें चुकाया नहीं गया था।<sup>65</sup> 2022-23 के अंत में 27 राज्यों द्वारा दी गई कुल बकाया गारंटी उनके जीएसडीपी का 3.9% थी। अपेक्षाकृत उच्च गारंटी स्तर वाले राज्यों में तेलंगाना (जीएसडीपी का 15.1%), सिक्किम (11.2%), आंध्र प्रदेश (10.7%), और राजस्थान (7.7%) शामिल हैं। 2023 में राज्य सरकार की गारंटी पर एक कार्य समूह ने सुझाव दिया था कि एक वर्ष में दी जाने वाली वृद्धिशील गारंटी को राजस्व प्राप्तियों के 5% या जीएसडीपी के 0.5%, जो भी कम हो, पर सीमित किया जाना चाहिए।<sup>66</sup>


## रेखाचित्र 27: बकाया गारंटी राज्य सरकारों के लिए आकस्मिक देनदारियां हैं



स्रोत: संबंधित राज्यों के कैग फाइनांस एकाउंट्स; पीआरएस।

कई राज्यों की कुल गारंटियों में बिजली क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक था। औसतन, 2022-23 के अंत में 27 राज्यों में कुल बकाया गारंटी में बिजली क्षेत्र की हिस्सेदारी 44% थी। कर्नाटक और तेलंगाना में 2022-23 के अंत में बकाया गारंटी का लगभग 40% सिंचाई क्षेत्र को दिया गया था। छत्तीसगढ़ में बकाया गारंटी का 68% सहकारी समितियों को दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश में बकाया गारंटी का 72% खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र को दिया गया।

## रेखाचित्र 28: 2022-23 के अंत में कुल गारंटी में 44% हिस्सा बिजली क्षेत्र का था



स्रोत: संबंधित राज्यों के कैग फाइनांस एकाउंट्स; पीआरएस।


## बजट अनुमानों की विश्वसनीयता

राज्य के बजट में तीन प्रकार के आंकड़े होते हैं: (i) बजट अनुमान: आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक अनुमान, (ii) संशोधित अनुमान: चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान में संशोधन, और (iii) वास्तविक: पिछले वर्ष की अंतिम लेखापरीक्षित राशि। राज्य विधानमंडल बजट अनुमानों के आधार पर आगामी वर्ष के लिए बजट को मंजूरी देता है। संशोधित अनुमान चालू वर्ष में सरकार के वित्त की अधिक यथार्थवादी तस्वीर प्रदान कर सकते हैं क्योंकि वे उसी वर्ष में दर्ज किए गए वास्तविक लेनदेन के संदर्भ में बनाए जाते हैं। वास्तविक आंकड़े बजट अनुमान से कम या अधिक हो सकते हैं, और यह तुलना प्रस्तावित बजट की विश्वसनीयता को समझने में मदद करती है।

## 2015-16 और 2022-23 के बीच राज्यों को बजट से 11% कम राजस्व प्राप्त हुआ

2015-16 और 2022-23 के बीच राज्यों को अपने बजट अनुमान से औसतन 11% कम राजस्व प्राप्त हुआ। जिन राज्यों में राजस्व प्राप्तियों में अपेक्षाकृत अधिक कमी देखी गई, उनमें मणिपुर (22%), आंध्र प्रदेश (21%), और तेलंगाना (21%) शामिल हैं। इस अवधि में कर्नाटक एकमात्र राज्य था जिसने अपना बजट लक्ष्य पूरा किया। राजस्व संग्रह में कमी की भरपाई के लिए राज्य अधिक उधार ले सकते हैं। हालांकि उधार की मात्रा राज्य एफआरबीएम कानूनों और केंद्र द्वारा निर्धारित वार्षिक उधार सीमा द्वारा सीमित है। अगर कमी को पूरा करने के लिए उधार पर्याप्त नहीं है, तो राज्यों को अपने व्यय में कटौती करनी पड़ सकती है।

**रेखाचित्र 29: राज्यों का वास्तविक राजस्व बजट अनुमान से 11% कम था**




स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; आरबीआई; पीआरएस।

**राज्यों ने 2015-16 और 2022-23 के बीच बजट से 10% कम खर्च किया**

राज्यों ने 2015-16 और 2022-23 के बीच औसतन अपने बजट अनुमान से 10% कम खर्च किया। राज्यों में इस तरह की अंडरस्पेंडिंग का एक कारण राजस्व संग्रह में कमी को माना जा सकता है। जिन राज्यों में अधिक अंडरस्पेंडिंग की गई, उनमें मणिपुर (23%), गोवा (22%), और त्रिपुरा (20%) शामिल हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बजट आंकड़ों और वास्तविक खर्च के बीच सबसे कम अंतर देखा गया।


**रेखाचित्र 30: दो राज्यों ने अपने बजट अनुमान से 20% से अधिक अंडरस्पेंडिंग की**



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; आरबीआई; पीआरएस।

इस अवधि के दौरान राजस्व व्यय के मामले में औसत अंडरस्पेंडिंग 8% थी, जबकि पूंजीगत परिव्यय के लिहाज से अंडरस्पेंडिंग का औसत 21% था। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा प्रकृति में टाइड है, जिसे कम नहीं किया जा सकता है (देखें पृष्ठ 6)। इसलिए राजस्व प्राप्तियों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए राज्य अपने पूंजी परिव्यय को बड़े पैमाने पर कम कर सकते हैं। गोवा (51%), त्रिपुरा (44%), आंध्र प्रदेश (41%) और मणिपुर (40%) जैसे राज्यों ने अपने पूंजी परिव्यय में तुलनात्मक रूप से ज्यादा अंडरस्पेंडिंग की।

**रेखाचित्र 31: राजस्व व्यय की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में अंडरस्पेंडिंग**




स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; आरबीआई; पीआरएस।

## संशोधित अनुमानों की विश्वसनीयता

बजट दस्तावेज़ों में प्रस्तुत संशोधित अनुमान चालू वित्तीय वर्ष की अधिक यथार्थवादी तस्वीर प्रदान करते हैं। उनसे वर्ष की शुरुआत की तुलना में वित्तीय स्थिति का वर्तमान मूल्यांकन प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। केंद्र सरकार के बजट मैनुअल के अनुसार, संशोधित अनुमान सावधानी से तैयार किए जाने चाहिए क्योंकि ये आंकड़े राजकोषीय प्रबंधन के महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं।<sup>67</sup> हालांकि राज्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनुमानों और उसके बाद के वास्तविक आंकड़ों के बीच काफी अंतर रहा है।

2017-18 और 2022-23 के बीच राज्यों की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां उनके संशोधित अनुमान से 7% कम थीं। राज्यों के लिए, राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय की अंडरस्पेंडिंग क्रमशः 8% और 18% थी। असम और बिहार जैसे राज्यों के लिए, यह अंतर और भी बड़ा था। उदाहरण के लिए, संशोधित अनुमान चरण में असम की राजस्व प्राप्तियां वास्तविक से 22% अधिक बताई गई थीं, जबकि बिहार के लिए यह 16% अधिक बताई गई थी। इन राज्यों के लिए पूंजी परिव्यय क्रमशः 42% और 40% अधिक बताया गया था। राज्यों की तुलना में, केंद्र की प्राप्तियां और व्यय के वास्तविक आंकड़े उसके संशोधित अनुमान के करीब थे (देखें रेखाचित्र 32)।

**रेखाचित्र 32: 2017-18 और 2022-23 के बीच केंद्र और राज्यों के लिए संशोधित अनुमान में कमी बनाम वास्तविक**



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; केंद्रीय बजट दस्तावेज़; आरबीआई; पीआरएस।




## 2024-25 में विभिन्न क्षेत्रों का परिव्यय

हम यहां बता रहे हैं कि राज्यों ने 2024-25 के बजट अनुमानों के अनुसार प्रमुख क्षेत्रों के लिए कितना आवंटन किया। किसी विशेष क्षेत्र पर व्यय का हिस्सा राज्य के बजट में उस क्षेत्र की हिस्सेदारी को दर्शाता है। किसी क्षेत्र पर व्यय उस क्षेत्र के राजस्व व्यय और पूंजी परिव्यय का योग होता है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और अन्य केंद्रीय अनुदानों के रूप में केंद्र जो अनुदान देता है, उसके कारण भी क्षेत्र के व्यय पर असर हो सकता है। दिल्ली में क्षेत्रीय व्यय अन्य राज्यों से भिन्न हो सकता है क्योंकि यहां की पुलिस केंद्र सरकार के तहत आती है और राज्य के पास ग्रामीण या कृषि क्षेत्र न के बराबर है। राज्य विभिन्न क्षेत्रों में एक जैसी मदों का आवंटन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्कूलों पर जो खर्च किया जाता है, उस व्यय को इन वर्गों के कल्याण संबंधी व्यय के रूप में वर्गीकृत करते हैं न कि शिक्षा के तहत; पंजाब अपने यहां के किसानों को बिजली सबसिडी देता है और उस खर्च को कृषि संबंधी व्यय में गिनता है, ऊर्जा संबंधी व्यय में नहीं। 2024-25 में राज्यों ने निम्नलिखित क्षेत्रों पर कुल 67% व्यय किया है।

## शिक्षा


रेखाचित्र 33: बजट के अनुपात में शिक्षा के लिए बिहार का आवंटन सबसे अधिक है



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## समाज कल्याण और पोषण


रेखाचित्र 34: समाज कल्याण पर कर्नाटक का खर्च 2022-23 से दोगुना से अधिक होने का अनुमान है



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां


रेखाचित्र 35: किसानों को ऋण राहत पर तेलंगाना का खर्च 2024-25 में काफी बढ़ने का अनुमान है



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण


रेखाचित्र 36: अधिकांश राज्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) के लक्ष्य- स्वास्थ्य के लिए 8% बजट आवंटन से चूक गए



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## ग्रामीण विकास


रेखाचित्र 37: झारखंड ग्रामीण विकास पर सबसे अधिक खर्च करेगा



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## ऊर्जा


रेखाचित्र 38: राजस्थान में ऊर्जा बजट का लगभग 90% डिस्कॉम को अनुदान और सबसिडी के लिए आवंटित



नोट: गोवा और पुद्दुचेरी जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा पर अधिक खर्च होता है क्योंकि बिजली वितरण सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है, न कि अधिकांश अन्य राज्यों की तरह राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम द्वारा। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## सड़क एवं पुल


रेखाचित्र 39: 2022-23 की तुलना में सड़कों और पुलों पर ओड़िशा का खर्च लगभग 60% बढ़ जाएगा



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## पुलिस


रेखाचित्र 40: मणिपुर और नगालैंड द्वारा पुलिस पर अपने बजट का 10% खर्च करने का अनुमान है



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण


रेखाचित्र 41: गुजरात और ओड़िशा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर सबसे अधिक खर्च करेंगे



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## शहरी विकास


रेखाचित्र 42: शहरी विकास पर खर्च होने वाले बजट में गुजरात का हिस्सा सबसे अधिक है



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण


रेखाचित्र 43: पेंशन योजना के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर आंध्र प्रदेश का 40% खर्च



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## जलापूर्ति एवं स्वच्छता


रेखाचित्र 44: तीन राज्य अपने जलापूर्ति और स्वच्छता बजट का 90% से अधिक पूंजी परिव्यय पर खर्च करेंगे



नोट: कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मणिपुर ने अपने कुल खर्च का 90% से अधिक पूंजीगत परिव्यय जलापूर्ति और स्वच्छता पर करने का बजट रखा है। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## आवास

रेखाचित्र 45: छत्तीसगढ़ आवास क्षेत्र पर सबसे अधिक खर्च करेगा



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## अनुलग्नक

तालिका 3: राज्यों में पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय (करोड़ रुपए)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	राशि (करोड़ रुपए में)				वार्षिक परिवर्तन		
	1994-95	2004-05	2014-15	2024-25	1994-2005	2004-2015	2014-2025
आंध्र प्रदेश	746	3,017	9,972	21,808	-	-	8%
अरुणाचल प्रदेश	8	70	481	2,305	24%	21%	17%
असम	162	1,062	5,237	17,811	21%	17%	13%
बिहार	320	2,325	11,345	31,796	-	17%	11%
छत्तीसगढ़	-	534	3,250	7,737	-	20%	9%
दिल्ली	-	-	1	3	-	-	17%
गोवा	15	140	660	2,814	25%	17%	16%
गुजरात	381	1,892	9,185	26,424	17%	17%	11%
हरियाणा	138	902	4,602	15,000	21%	18%	13%
हिमाचल प्रदेश	83	591	2,914	9,961	22%	17%	13%
जम्मू एवं कश्मीर	55	660	3,686	14,058	28%	19%	14%
झारखंड	-	928	3,463	8,741	-	14%	10%
कर्नाटक	470	2,157	10,118	32,355	16%	17%	12%
केरल	565	2,601	11,253	28,609	16%	16%	10%
मध्य प्रदेश	385	1,330	6,836	25,648	-	18%	14%
महाराष्ट्र	489	2,872	14,258	59,817	19%	17%	15%
मणिपुर	26	183	934	3,008	22%	18%	12%
मेघालय	14	87	515	1,865	20%	19%	14%
मिजोरम	8	89	545	1,966	28%	20%	14%
नगालैंड	29	134	905	3,557	16%	21%	15%
ओडिशा	165	1,260	6,417	21,940	23%	18%	13%
पुद्दुचेरी	-	-	431	1,375	-	-	12%
पंजाब	218	1,514	7,249	19,800	21%	17%	11%
राजस्थान	300	1,626	9,629	29,017	18%	19%	12%
सिक्किम	3	31	333	1,513	26%	27%	16%
तमिलनाडु	636	3,902	17,349	42,509	20%	16%	9%
तेलंगाना	-	-	4,210	11,641	-	-	11%
त्रिपुरा	31	221	837	3,212	22%	14%	14%
उत्तर प्रदेश	498	3,561	22,305	86,488	-	20%	15%
उत्तराखंड	-	354	2,452	8,146	-	21%	13%
पश्चिम बंगाल	401	3,336	12,128	24,710	24%	14%	7%
<b>कुल</b>	<b>6,146</b>	<b>37,378</b>	<b>1,83,499</b>	<b>5,65,633</b>	<b>20%</b>	<b>17%</b>	<b>12%</b>

नोट: वार्षिक परिवर्तन को चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के रूप में मापा जाता है। बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आंकड़े 2004-05 से पहले के वर्षों से तुलनीय नहीं हैं क्योंकि ये राज्य 2000 में क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में विभाजित हो गए थे। आंध्र प्रदेश के आंकड़े 2014 से पहले तुलनीय नहीं हैं, क्योंकि राज्य को तेलंगाना के निर्माण के लिए विभाजित किया गया था। विभाजन के बाद जम्मू एवं कश्मीर के आंकड़े केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के हैं। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; आरबीआई; पीआरएस।

तालिका 4: राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों का लाभ और घाटा (करोड़ रुपए में)

राज्य	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आंध्र प्रदेश	-2	-11,934	-151	44	-2,458	1,736
अरुणाचल प्रदेश	-429	-420	0	0	0	0
असम	165	21	954	-292	336	-800
बिहार	-2,650	-3,090	-2,917	-2,523	-2,128	181
छत्तीसगढ़	-279	-42	-973	-420	-1,214	-1,133
गोवा	26	-121	-276	78	117	69
गुजरात	426	184	314	429	371	147
हरियाणा	412	281	331	637	849	975
हिमाचल प्रदेश	4	4	11	-185	-104	-1,437
झारखंड	-212	-751	-1,132	-2,200	-2,038	-3,620
कर्नाटक	-522	970	-1,850	-4,175	-4,592	-3,146
केरल	-784	-135	-270	-483	98	-1,022
मध्य प्रदेश	-5,284	-7,159	-1,746	-4,152	-3,315	-2,683
महाराष्ट्र	492	1,729	978	-1,607	-329	-6,289
मणिपुर	-8	-18	-15	-15	-11	-129
मेघालय	-287	-202	-443	-101	-157	-193
मिजोरम	87	-294	-291	-115	-59	-158
नगालैंड	-62	-94	-477	6	24	33
ओडिशा	-792	-1,539	-842	-	-	-
पुद्दुचेरी	6	-36	-301	-20	75	-129
पंजाब	-907	-38	-1,158	1,446	1,069	-4,776
राजस्थान	2,173	2,607	2,986	-2,217	-472	-2,514
सिक्किम	-29	-3	-179	-34	0	71
तमिलनाडु	-7,761	-12,623	-11,965	-13,066	-9,130	-9,192
तेलंगाना	-5,485	-8,019	-6,057	-6,686	-831	-11,103
त्रिपुरा	28	62	-57	10	-120	-284
उत्तर प्रदेश	-5,002	-5,902	-3,866	-10,660	-6,498	-15,512
उत्तराखंड	-229	-553	-577	-152	-21	-1,224
पश्चिम बंगाल	-40	-45	567	-190	-205	21
<b>कुल</b>	<b>-26,945</b>	<b>-47,160</b>	<b>-29,402</b>	<b>-46,643</b>	<b>-30,743</b>	<b>-62,111</b>

नोट: ओडिशा की डिस्कॉम का निजीकरण 2020-21 में किया गया था, इसलिए 2019-20 तक के आंकड़े दिए गए हैं। दिल्ली ने भी अपनी डिस्कॉम का निजीकरण कर दिया है। निजी डिस्कॉम गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी काम कर रही हैं। स्रोत: बिजली वित्त निगम की विभिन्न वर्षों की रिपोर्ट; पीआरएस।

तालिका 5: राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय संकेतक

राज्य	एटीएंडसी घाटा*				एसीएस-एआरआर अंतर * (रुपए में)			
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आंध्र प्रदेश	11%	20%	11%	8%	0.0	0.0	0.3	-0.2
अरुणाचल प्रदेश	40%	52%	48%	52%	0.0	0.0	0.0	0.0
असम	23%	19%	17%	16%	-0.9	0.3	-0.3	0.6
बिहार	40%	34%	32%	25%	0.9	0.7	0.5	0.0
छत्तीसगढ़	19%	18%	18%	16%	0.3	0.1	0.3	0.3
गोवा	15%	13%	6%	12%	0.6	-0.2	-0.3	-0.1
गुजरात	12%	12%	10%	11%	-0.1	-0.1	-0.1	0.0
हरियाणा	18%	17%	14%	12%	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2
हिमाचल प्रदेश	14%	14%	13%	11%	0.0	0.1	0.1	0.9
झारखंड	37%	43%	31%	30%	0.9	1.7	1.4	2.5
कर्नाटक	17%	16%	12%	14%	0.3	0.7	0.7	0.4
केरल	13%	8%	8%	7%	0.1	0.2	0.0	0.3
मध्य प्रदेश	30%	42%	21%	21%	0.2	0.5	0.4	0.3
महाराष्ट्र	19%	28%	16%	19%	-0.1	0.1	0.0	0.4
मणिपुर	23%	25%	31%	14%	0.1	0.1	0.3	1.2
मेघालय	32%	23%	26%	24%	1.9	0.4	0.6	0.7
मिजोरम	37%	29%	36%	26%	3.3	1.6	0.8	1.7
नगालैंड	52%	47%	44%	46%	5.5	-0.1	-0.3	-0.3
पुद्दुचेरी	18%	20%	11%	17%	1.0	0.1	-0.2	0.4
पंजाब	15%	19%	12%	11%	0.2	-0.3	-0.2	0.7
राजस्थान	30%	26%	17%	16%	-0.4	0.3	0.1	0.2
सिक्किम	29%	98%	31%	37%	1.7	0.3	0.0	-0.7
तमिलनाडु	14%	12%	11%	10%	1.3	1.5	0.9	0.9
तेलंगाना	22%	13%	11%	19%	1.0	1.1	0.1	1.4
त्रिपुरा	36%	37%	31%	28%	0.2	-0.1	0.4	0.9
उत्तर प्रदेश	30%	27%	31%	22%	0.3	0.9	0.6	1.2
उत्तराखंड	20%	15%	14%	15%	0.4	0.1	0.0	0.7
पश्चिम बंगाल	20%	21%	17%	17%	-0.1	0.0	0.0	0.0
<b>राष्ट्रीय औसत</b>	<b>21%</b>	<b>23%</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>

नोट: # गलत मीटरिंग और बिजली चोरी के कारण ट्रांसमिशन के दौरान बिजली की हानि और वाणिज्यिक हानि। \* बिजली आपूर्ति की औसत लागत और इसकी बिक्री से प्राप्त औसत राजस्व के बीच प्रति यूनिट अंतर को दर्शाता है। ओडिशा की डिस्कॉम का 2020-21 में निजीकरण किया गया था, इसलिए इसे बाहर रखा गया है। जम्मू और कश्मीर के आंकड़े 2021-22 से उपलब्ध नहीं, इसलिए इसे भी बाहर रखा गया है। स्रोत: बिजली वित्त निगम की विभिन्न वर्षों की रिपोर्टें, पीआरएस।



## पारिभाषिक शब्द

**प्राप्तियों** का अर्थ है, सरकार को प्राप्त धनराशि। इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं: (i) सरकार द्वारा अर्जित धनराशि, (ii) प्राप्त अनुदान (मुख्य रूप से केंद्र से प्राप्त), और (iii) उधारियों या ऋण की अदायगी के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि।

**पूंजीगत प्राप्तियों** में वे प्राप्तियां शामिल होती हैं जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों में गिरावट या देनदारियों में बढ़ोतरी होती है। इनमें निम्नलिखित शामिल होते हैं: (i) परिसंपत्तियों की बिक्री, जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि, और (ii) उधारियों के रूप में या ऋण की अदायगी के रूप में प्राप्त होने वाली राशि।

**राजस्व प्राप्तियां** ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिनका सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता। इनमें सरकार द्वारा कर और गैर कर स्रोतों (जैसे लाभांश से प्राप्त होने वाली आय और केंद्र सरकार के अनुदान) से अर्जित धनराशि शामिल होती है।

**पूंजीगत व्यय** परिसंपत्तियों के सृजन या देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें: (i) सड़क और अस्पतालों जैसी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सरकार द्वारा इस्तेमाल धनराशि, और (ii) सरकार द्वारा उधारी चुकाने के लिए दी गई धनराशि शामिल है।

**राजस्व व्यय** सरकार का वह व्यय होता है जिसका उसकी परिसंपत्तियों या देनदारियों पर कोई असर नहीं होता। उदाहरण के लिए उसमें वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, प्रशासनिक खर्च और सबसिडी शामिल होती है।

**केंद्रीय करों के हस्तांतरण** का अर्थ है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय करों, जैसे कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, केंद्रीय जीएसटी, कस्टम्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में राज्यों को हिस्सा देना। वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित मानदंडों के आधार पर राज्यों को धनराशि का हस्तांतरण किया जाता है।

**सहायतानुदान** को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है और वे टाइड प्रकृति के होते हैं यानी उन्हें विशिष्ट योजनाओं और व्यय की मदों पर ही खर्च करना होता है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।

**बकाया ऋण** का अर्थ है, पिछले कुछ वर्षों में सरकारों द्वारा उधार ली गई वह राशि, जोकि मौजूदा सरकार पर देय है। किसी वित्तीय वर्ष के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि वर्ष के अंत में सरकार पर कितना ऋण बकाया है।

**राजकोषीय घाटा**, सरकार की व्यय संबंधी जरूरतों और उसकी प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। किसी एक वर्ष में सरकार को कितनी राशि उधार लेनी होगी, यह उसके बराबर होता है। अगर प्राप्तियां व्यय से अधिक होती हैं तो अधिशेष उत्पन्न होता है।

**राजस्व घाटा** प्राप्तियों के राजस्व घटक और व्यय, यानी राजस्व संवितरण और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। इसका अर्थ यह है कि सरकार को गैर पूंजीगत घटकों (जिनसे परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होगा) पर व्यय के लिए कितना उधार लेना होगा।

**प्राथमिक घाटा** राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर होता है। यह सरकार की व्यय संबंधी जरूरतों और उसकी प्राप्तियों के बीच के अंतर का संकेत देता है लेकिन इसमें इसकी गणना नहीं की जाती कि पिछले वर्षों के दौरान ऋण के ब्याज भुगतानों पर कितना खर्च किया गया।

**राज्य का समेकित कोष** वह कोष या लेखा होता है जिसमें राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों को जमा किया जाता है और उसे सरकार के व्यय के वित्त पोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

**प्रभारित (चार्ज) व्यय** में वह व्यय शामिल होता है जिस पर विधानसभा में मतदान नहीं होता और उसे समेकित कोष से सीधा खर्च किया जाता है। ऐसे व्यय पर विधानसभा में चर्चा की जा सकती है। उदाहरणों में ब्याज भुगतान और राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते शामिल हैं।

मतदान (वोट) व्यय में प्रभारित व्यय के अतिरिक्त सभी दूसरे व्यय शामिल होते हैं। ऐसे व्यय के लिए अनुदान मांगों के रूप में विधानसभा में मतदान किया जाता है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संरचना वित्तीय अनुशासन के संस्थापन के लिए राज्यों द्वारा पारित कानूनों से संबंधित होती है। यह संरचना राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और बकाया ऋण के लक्ष्यों का प्रावधान करती है जिन्हें राज्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करना होता है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक पारदर्शिता लाने के लिए राजकोषीय नीति पर वक्तव्य जारी करें।

<sup>1</sup> Chapter 6: Towards Cooperative Federalism: Balancing Equity and Efficiency, Volume I, Report of the 15<sup>th</sup> Finance Commission, October 2020, <https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf>.

<sup>2</sup> Chapter 8: Sharing of Union Tax Revenues, Report of the 14<sup>th</sup> Finance Commission, <https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/14th-FC/14thFCReport.pdf>.

<sup>3</sup> Chapter 5: Resource Mobilisation, Volume I, Report of the 15<sup>th</sup> Finance Commission, October 2020, <https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf>.

<sup>4</sup> State Finances, A Study of Budgets of 2023-24, Reserve Bank of India, December 2023, <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/0STATEFINANCES202324E45F66372EEC4743AE4E9BED92EB85FF.PDF>.

<sup>5</sup> The Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2253/1/a2017-15.pdf>.

<sup>6</sup> G.S.R. 468(E), Ministry of Finance, June 24, 2022, <https://egazette.gov.in/WriteReadData/2022/236790.pdf>.

<sup>7</sup> “Status Note on GST compensation released to States/UTs”, Press Information Bureau, Ministry of Finance, April 27, 2022, <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1820749>.

<sup>8</sup> 407/GoMonCompensationCess/GTSC/2024, Goods and Services Tax Council, September 25, 2024, [https://gstcouncil.gov.in/sites/default/files/2024-09/compensation\\_cess.pdf](https://gstcouncil.gov.in/sites/default/files/2024-09/compensation_cess.pdf).

<sup>9</sup> Rajya Sabha Unstarred Question No. 529, Ministry of Finance, July 25, 2023, [https://sansad.in/getFile/annex/260/AU529.pdf?source=pqars#:~:text=\(a\)%3A%20GST%20collection%20consists.and%20collected%20by%20the%20Centre](https://sansad.in/getFile/annex/260/AU529.pdf?source=pqars#:~:text=(a)%3A%20GST%20collection%20consists.and%20collected%20by%20the%20Centre).

<sup>10</sup> The Central Sales Tax Act, 1956, [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15258/1/3\\_cst\\_act\\_central\\_sales\\_tax\\_act\\_1956.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15258/1/3_cst_act_central_sales_tax_act_1956.pdf).

<sup>11</sup> Report of the Group to Study the Pension Liabilities of the State Governments; Reserve Bank of India, October 2003, [https://prsindia.org/files/bills\\_acts/bills\\_parliament/2005/Bhattacharya\\_Committee\\_on\\_Pension\\_Liabilities\\_of\\_State\\_Governments.pdf](https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2005/Bhattacharya_Committee_on_Pension_Liabilities_of_State_Governments.pdf).

<sup>12</sup> F.No. 5/7/2003-ECB & PR, Ministry of Finance, December 22, 2003, <https://pensionersportal.gov.in/ghazette.pdf>.

<sup>13</sup> Fiscal Cost of Reverting to the Old Pension Scheme by Indian States – An Assessment, RBI Bulletin, September 2023, <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/02AR18092023A646C561E9BC438AA67BFD934A58672E.PDF>.

<sup>14</sup> “Cabinet approves Unified Pension Scheme” Press Information Bureau, Cabinet, August 24, 2024, <https://pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=2048607>.

<sup>15</sup> F. No. 1/3/2016-PR, Ministry of Finance, January 31, 2019, <https://egazette.gov.in/WriteReadData/2019/196300.pdf>.

<sup>16</sup> “GM CR briefs the Media on Unified Pension Scheme for Employees”, Press Information Bureau, Ministry of Railways, August 26, 2024, <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2048953#:~:text=The%20UPS%2C%20approved%20by%20the.are%20likely%20to%20be%20benefitted>.

<sup>17</sup> Cabinet Decisions, August 25, 2024, Government of Maharashtra, [https://www.maharashtra.gov.in/Upload/PDF/Cabinet-Decisions\\_Meeting-No-80\\_R.pdf](https://www.maharashtra.gov.in/Upload/PDF/Cabinet-Decisions_Meeting-No-80_R.pdf).

<sup>18</sup> “Maharashtra becomes first state to adopt Unified Pension Scheme for its employees ahead of assembly polls”, Livemint, as accessed on September 25, 2024, <https://www.livemint.com/politics/news/maharashtra-becomes-first-state-to-adopt-unified-pension-scheme-for-its-employees-ahead-of-assembly-polls-11724637262407.html>.

<sup>19</sup> “Karnataka govt. asks committee to submit report on Unified Pension Scheme”, The Hindu, as accessed on September 25, 2024, <https://www.thehindu.com/news/national/karnataka/karnataka-govt-asks-committee-to-submit-report-on-united-pension-scheme/article68570075.ece>.

<sup>20</sup> “T.N. government begins studying possible implications over Unified Pension Scheme”, The Hindu, as accessed on September 25, 2024, <https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/tn-government-begins-studying-possible-implications-over-unified-pension-scheme/article68568222.ece>.

<sup>21</sup> Jharkhand Cabinet Decisions, October 14, 2024, [https://cm.jharkhand.gov.in/sites/default/files/cabinet\\_decision\\_14\\_10\\_2024%28Hindi%29.pdf](https://cm.jharkhand.gov.in/sites/default/files/cabinet_decision_14_10_2024%28Hindi%29.pdf).

<sup>22</sup> Finance Minister’s Speech, Himachal Pradesh Budget for the Financial Year 2024-25, [https://ebudget.hp.nic.in/Aspx/Anonymous/pdf/FS\\_Eng\\_2024.pdf](https://ebudget.hp.nic.in/Aspx/Anonymous/pdf/FS_Eng_2024.pdf).

<sup>23</sup> “AAP’s guarantee of 1K per month on anvil: Mann”, Times of India, as accessed on November 25, 2024, <https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/aaps-guarantee-of-1k-per-month-on-anvil-mann/articleshow/109898669.cms>.

<sup>24</sup> “BJP manifesto for Haryana promises two lakh government jobs, ₹2,100 to women”, The Hindu, as accessed on November 25, 2024, <https://www.thehindu.com/elections/haryana-assembly/bjp-manifesto-for-haryana-promises-two-lakh-government-jobs-2100-to-women-job-guarantee-for-agniveers/article68659126.ece>.

<sup>25</sup> “Congress announces ‘Five Guarantees’ for Maharashtra, Telangana’s ‘Six’ wait”, Telangana Today, as accessed on November 25, 2024, <https://telanganatoday.com/congress-announces-five-guarantees-for-maharashtra-telanganas-six-wait>.

<sup>26</sup> Speech of Shri Ajit Pawar, Deputy Chief Minister (Finance), On the Additional Budget Estimates of the Government of Maharashtra, June 28, 2024, [https://beams.mahakosh.gov.in/Beams5/BudgetMVC/BudgetBooksPDF1/2024-2025/Additional%20Budget/Speech/Part%20I%20\(Speech\)%20\(English\)%2028%20June%202024.pdf](https://beams.mahakosh.gov.in/Beams5/BudgetMVC/BudgetBooksPDF1/2024-2025/Additional%20Budget/Speech/Part%20I%20(Speech)%20(English)%2028%20June%202024.pdf).

- <sup>27</sup> Flow As Security: An Assessment of Lakshmir Bhandar Scheme, Pratichi (India) Trust, [https://socialsecurity.wb.gov.in/lokkiBhandar/storage/app/public\\_doc/Lakshmir%20Bhandar%20Report%20-%20Pratichi%20Trust.pdf](https://socialsecurity.wb.gov.in/lokkiBhandar/storage/app/public_doc/Lakshmir%20Bhandar%20Report%20-%20Pratichi%20Trust.pdf).
- <sup>28</sup> Cash transfer programmes, poverty reduction and empowerment of women: A comparative analysis, International Labour Organization, December 23, 2013, <https://www.ilo.org/publications/cash-transfer-programmes-poverty-reduction-and-empowerment-women>.
- <sup>29</sup> The impact of cash transfers on the economic advancement and decision-making capacity of rural women, Food and Agriculture Organization of the United Nations, June 2015, <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/fdeb4825-9f76-4aa7-a3dd-9c5beb93f99d/content>.
- <sup>30</sup> Report of the Sub-Group of Chief Ministers on Rationalisation of Centrally Sponsored Schemes, NITI Aayog, October 2015, <https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2019-08/Final%20Report%20of%20the%20Sub-Group%20submitter%20to%20PM.pdf>.
- <sup>31</sup> Centrally Sponsored Schemes: Restructuring and Rationalisation, National Institute of Public Finance and Policy, August 19, 2021, [https://www.nipfp.org.in/media/medialibrary/2023/04/Paper\\_on\\_CSS\\_Report\\_to\\_PMEAC\\_Final\\_Aug\\_2021.pdf](https://www.nipfp.org.in/media/medialibrary/2023/04/Paper_on_CSS_Report_to_PMEAC_Final_Aug_2021.pdf).
- <sup>32</sup> Chapter 2: Intergovernmental Fiscal Relations: Lessons from International Experience, Volume I, Report of the 15<sup>th</sup> Finance Commission, October 2020, <https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf>.
- <sup>33</sup> Chapter 12: Fiscal Consolidation Roadmap, Volume I, Report of the 15<sup>th</sup> Finance Commission, October 2020, <https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf>.
- <sup>34</sup> Revamping/Rationalisation of Centrally Sponsored Scheme, Statement 4AA, Expenditure Profile, Union Budget 2022-23, <https://www.indiabudget.gov.in/budget2022-23/doc/eb/stat4aa.pdf>.
- <sup>35</sup> Centrally Sponsored Schemes, Statement 4A, Expenditure Profile, Union Budget 2024-25, <https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat4a.pdf>.
- <sup>36</sup> Article 280, The Constitution of India, <https://cdnbbsr.s3.waas.gov.in/s380537a945c7aaa788ccfcd1b99b5d8f/uploads/2024/07/20240716890312078.pdf>.
- <sup>37</sup> Chapter 7: Empowering Local Governments, Volume I, Report of the 15<sup>th</sup> Finance Commission, October 2020, <https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf>.
- <sup>38</sup> AuditOnline, Ministry of Panchayati Raj, as accessed on November 21, 2024, <https://auditonline.gov.in/#reports>.
- <sup>39</sup> 35<sup>th</sup> Report: Action taken on the Observations/Recommendations contained in the Thirty First Report on 'Demands for Grants' (2023-24) pertaining to the Ministry of Panchayati Raj, Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, Lok Sabha, July 27, 2023, [file:///D:/State%20of%20State%20Finances/State%20of%20State%20Finances%202024-25/FC%20Grants/Isscommittee\\_Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj\\_17\\_Rural\\_Development\\_and\\_Panchayati\\_Raj\\_35.pdf](file:///D:/State%20of%20State%20Finances/State%20of%20State%20Finances%202024-25/FC%20Grants/Isscommittee_Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj_17_Rural_Development_and_Panchayati_Raj_35.pdf).
- <sup>40</sup> 2024 INSC 554, Mineral Area Development Authority & Anr. Versus M/S Steel Authority of India & Anr Etc., Civil Appeal Nos. 4056-4064 of 1999, The Supreme Court of India, July 25, 2024, [https://api.sci.gov.in/supremecourt/1999/9012/9012\\_1999\\_1\\_1501\\_54138\\_Judgement\\_25-Jul-2024.pdf](https://api.sci.gov.in/supremecourt/1999/9012/9012_1999_1_1501_54138_Judgement_25-Jul-2024.pdf).
- <sup>41</sup> The Orissa Rural Infrastructure and Socio-Economic Development Act, 2004, [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/12238/1/the\\_orissa\\_rural\\_infrastructure\\_and.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/12238/1/the_orissa_rural_infrastructure_and.pdf).
- <sup>42</sup> 2024 INSC 607, Mineral Area Development Authority & Anr. Versus M/S Steel Authority of India & Anr Etc., Civil Appeal Nos. 4056-4064 of 1999, The Supreme Court of India, August 14, 2024, [https://api.sci.gov.in/supremecourt/1999/9012/9012\\_1999\\_1\\_1501\\_54884\\_Judgement\\_14-Aug-2024.pdf](https://api.sci.gov.in/supremecourt/1999/9012/9012_1999_1_1501_54884_Judgement_14-Aug-2024.pdf).
- <sup>43</sup> "Mining firms stare at huge Rs 2-lakh-cr hit", Financial Express, August 15, 2024, <https://www.financialexpress.com/business/industry/mining-firms-stare-at-huge-rs-2-lakh-cr-hit/3583269/>.
- <sup>44</sup> "Centre expects hit of over Rs 1 lakh crore from apex court order allowing retrospective mining levies", The Economic Times, August 14, 2024, <https://economictimes.indiatimes.com/industry/indl-goods/svs/metals-mining/centre-expects-hit-of-over-rs-1-lakh-crore-from-apex-court-order-allowing-retrospective-mining-levies/articleshow/112527079.cms?from=mdr>.
- <sup>45</sup> Jharkhand Mineral Bearing Land Cess Bill, 2024, <https://jharkhandvidhansabha.nic.in/sites/default/files/%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9C-%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A4%B0-2024.pdf>.
- <sup>46</sup> Strategy Paper on Coal Import Substitution, Inter-Ministerial Committee Report, Ministry of Coal, March 2024, <https://coal.nic.in/sites/default/files/2024-03/07-03-2024a-wn.pdf>.
- <sup>47</sup> Note on Mining and the Burden of Taxation in India, Federation of Indian Mineral Industries, July 31, 2017, <https://www.fedmin.com/fedmin/taxation.pdf>.
- <sup>48</sup> Chapter 1: Introduction, Volume I, Report of the 15<sup>th</sup> Finance Commission, October 2020, <https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf>.
- <sup>49</sup> 12<sup>th</sup> Annual Integrated Rating and Ranking of Power Distribution Utilities, Ministry of Power, March 2024, [https://pfcindia.com/ensite/DocumentRepository/ckfinder/files/Gol\\_Initiatives/Annual\\_Integrated\\_Ratings\\_of\\_State\\_DISCOMs/12%20Annual%20Integrated%20Report\\_Print%20version\\_EA-I-compressed.pdf](https://pfcindia.com/ensite/DocumentRepository/ckfinder/files/Gol_Initiatives/Annual_Integrated_Ratings_of_State_DISCOMs/12%20Annual%20Integrated%20Report_Print%20version_EA-I-compressed.pdf).
- <sup>50</sup> White Paper on Tamil Nadu Government's Finances, [https://tnbudget.tn.gov.in/tnweb\\_files/white\\_paper\\_2021\\_english.pdf](https://tnbudget.tn.gov.in/tnweb_files/white_paper_2021_english.pdf).
- <sup>51</sup> No. 06/02/2015-NEF/FRP, Ministry of Power, November 20, 2015, [https://powermin.gov.in/pdf/Uday\\_Ujjawal\\_Scheme\\_for\\_Operational\\_and\\_financial\\_Turnaround\\_of\\_power\\_distribution\\_companies.pdf](https://powermin.gov.in/pdf/Uday_Ujjawal_Scheme_for_Operational_and_financial_Turnaround_of_power_distribution_companies.pdf).
- <sup>52</sup> Guidelines, Revamped Distribution Scheme, Ministry of Power, [https://pfcindia.com/ensite/Default/ViewFile/?id=1637601998204\\_Final\\_Revamped\\_Scheme\\_Guidelines\\_Revised.pdf&path=Page](https://pfcindia.com/ensite/Default/ViewFile/?id=1637601998204_Final_Revamped_Scheme_Guidelines_Revised.pdf&path=Page).
- <sup>53</sup> Draft Distribution Perspective Plan 2030, Central Electricity Authority, November 2023, [https://cea.nic.in/wp-content/uploads/notification/2024/02/Public\\_Notice\\_for\\_comments\\_Distribution\\_Pers\\_Plan\\_2030-1.pdf](https://cea.nic.in/wp-content/uploads/notification/2024/02/Public_Notice_for_comments_Distribution_Pers_Plan_2030-1.pdf).
- <sup>54</sup> S.O. 5533(E), Ministry of Finance, December 31, 2023, <https://fincomindia.nic.in/asset/doc/doc20231231295101.pdf>.
- <sup>55</sup> A Revenue Neutral Approach to Lower Stamp Duty and Registration Charges for Affordable Housing, Ministry of Housing and Urban Affairs, September 2020, <https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/Revenue-Neutral-Approach-to-Lower-Stamp-Duty-and-Registration-Charges-for-Affordable-Housing.pdf>.
- <sup>56</sup> Scheme Guidelines, Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0, Ministry of Housing and Urban Affairs, September 2024, <https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf>.

- 
- <sup>57</sup> Financial Stability Report Issue No. 26, Reserve Bank of India, December 2022, <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/0FSRDECEMBER2022F93A2F188A394ACDB2FDDC2FCC0D07F0.PDF>.
- <sup>58</sup> Chapter 9: Revised Roadmap for Fiscal Consolidation, Volume I, 13<sup>th</sup> Finance Commission, December 2009, <https://smartnet.niua.org/sites/default/files/resources/13fceng.pdf>.
- <sup>59</sup> Fiscal Strategy Report, Finance Department, Government of Odisha, July 2022, <https://finance.odisha.gov.in/sites/default/files/2022-07/Fiscal%20Strategy%20Report%202022-23.pdf>.
- <sup>60</sup> Fiscal Strategy Report, Finance Department, Government of Odisha, July 2024, <https://finance.odisha.gov.in/sites/default/files/2024-07/19-Fiscal%20Strategy%20Report.pdf>.
- <sup>61</sup> Fiscal Risk Statement, Finance Department, Government of Odisha, July 2024, <https://finance.odisha.gov.in/sites/default/files/2024-07/21-Fiscal%20Risk%20Statement.pdf>.
- <sup>62</sup> Fiscal Policy Strategy Statement, Finance Department, Government of Odisha, July 2024, [https://finance.odisha.gov.in/sites/default/files/2024-07/12-FRBM\\_Statement.pdf](https://finance.odisha.gov.in/sites/default/files/2024-07/12-FRBM_Statement.pdf).
- <sup>63</sup> Starred Question No 50, Lok Sabha, Ministry of Finance, July 24, 2023, <https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1712/AS50.pdf?source=pqals>.
- <sup>64</sup> Volume – I, FRBM Review Committee, January 2017, <https://dea.gov.in/sites/default/files/Volume%201%20FRBM%20Review%20Committee%20Report.pdf>.
- <sup>65</sup> MTNL/SECTT/SE/2024, Mahanagar Telephone Nigam Limited, October 30, 2024, [https://nsearchives.nseindia.com/corporate/MTNL\\_30102024140212\\_NON\\_FUNDING\\_VIII\\_C.pdf](https://nsearchives.nseindia.com/corporate/MTNL_30102024140212_NON_FUNDING_VIII_C.pdf).
- <sup>66</sup> Report of the Working Group on State Government Guarantees, Reserve Bank of India, September 2023, <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/RWGSGG28666DF11C154643BF7FBC5B41C920C9.PDF>.
- <sup>67</sup> Budget Manual, Ministry of Finance, November 2022, <https://dea.gov.in/sites/default/files/BUDGET%20MANUAL%20FINAL%20-15-11-22.pdf>.

## पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च

इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च स्टडीज  
तीसरी मंजिल, गंधर्व महाविद्यालय  
212, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग  
नई दिल्ली-110002

टेलीफोन : (011) 2323 4801, 4343 4035

[www.prsindia.org](http://www.prsindia.org)